वर्ष 2019-20 द्वितीय अंक

कंडला नशाकाश

संवाहिका

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
कंडला/गांधीधाम

: संयोजक :
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
गांधीधाम

नराकास, कंडला/गांधीधाम की छमाही समीक्षा बैठक
(दि. 30-01-2020)

संपादक मंडल

मुख्य संरक्षक

श्री संजय कुमार मेहता, भा.व.से.
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम एवं अध्यक्ष, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

उप संरक्षक

श्री नंदीश शुक्ल, आईआरटीएस
उपाध्यक्ष, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

संरक्षक मंडल

श्री संजय कुमार, भा.रा.से., संयुक्त आयकर आयुक्त, गांधीधाम
डॉ. अमिय चंद्र, आई.टी.एस., विकास आयुक्त, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
श्री संतोषकुमार एस. दारोकर, प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग

मार्गदर्शक मंडल

श्री ज्ञानचंद जैन, अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, कंडला
श्री टी. वेणु गोपाल, सचिव, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
श्री संजीव मेंघल, विमानपत्तन निदेशक, कंडला विमानक्षेत्र
श्री के.बी. सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., भचाऊ
श्री बिमल देसाई, उप महाप्रबंधक, गेल (इंडिया) लिमिटेड, सामाख्याली
श्री राम विजय पांडेय, मुख्य संस्थापन प्रबंधक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉ. लि., कंडला
श्री प्रकाश झामनानी, मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, आदिपुर

संपादक

श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, सदस्य-सचिव, नराकास, कंडला/गांधीधाम
एवं हिंदी अधिकारी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

उप संपादक मंडल

श्री ए. बी. प्रधान, श्रम अधिकारी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
श्री विजय पावसे, प्रबंधक(मा.सं.), गेल (इंडिया) लिमिटेड, सामाखियाली/कंडला
श्री नरेश कुमार, सहायक कार्यकारी अभियंता, वीटीएस निदेशालय, गांधीधाम
श्री जय छाललिया, अभियंता, पॉवरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., भचाऊ
श्री समीर पांडेय, सहायक निदेशक, गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय, कंडला
श्री शिवानंद मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय इफको, गांधीधाम
श्री अर्पित बिजोले, अधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंडला

सहायक संपादक मंडल

श्री राजेन्द्र पांडेय, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
सुश्री मोना पहलाजानी, हिंदी अनुवादक, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
श्री नरेश चंद्र पांडेय, हिंदी अनुवादक, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
श्री धर्मेन्द्र कुमार, हिंदी आशुलिपिक, समुद्री वाणिज्य विभाग
श्री नितिन देव जोशी, हिंदी आशुलिपिक, आयकर कार्यालय, गांधीधाम
श्री आसिफ अंसारी, हिंदी अनुवादक, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, रेलवे, गांधीधाम
श्री हरीश बचवानी, हिन्दी टंकक, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

कंडला नराकास संवाहिका

2019-20

द्वितीय अंक

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	शुभकामना संदेश	1-7
2.	संपादकीय	08
3.	नराकास की वर्तमान व्यवस्था – परिचय	09
4.	नराकास संबधी संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी आदेश	10-11
5.	नराकास, कंडला/गांधीधाम के विद्यमान सदस्य कार्यालयों के नाम एवं पते	12-13
6.	संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपतिजी के आदेश	14-18
7.	नराकास की छमाही समीक्षा बैठक का आयोजन	19
8.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता	20-21
9.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित हिंदी संगोष्ठी	22
10.	दो दिवसीय हिंदी आशुलिपि परिक्षा का आयोजन	23
11.	संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	24
12.	कविता : बदले दिन – श्रीमती संगीता खिलवानी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	24
13.	संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला – पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	25
14.	दोहे – श्री धर्मेन्द्र कुमार, समुद्री वाणिज्य विभाग	25
15.	कविता : भारत बहुत ही प्यारा है – श्रीमती ज्योति भावनानी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	26
16.	कविता : मातृभूमि के प्रति फर्ज निभाएँ – श्रीमती ज्योति भावनानी, डीपीटी	26
17.	कविता : नारी – श्रीमती रंजन आर. शर्मा, भारतीय जीवन बीमा निगम	26
18.	मानवीय जीवन की विडम्बना – श्री नरेश कुमार, डीजीएलएल (वीटीएस)	27
19.	बाण भट्ट की आत्मकथा–एक पुस्तक समीक्षा, श्री शिवानंद मिश्र, केंद्रीय विद्यालय, इफको	28-30
20.	कहानी : अधूरे जवाब – श्री अर्पित बिजोले, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31-35
21.	कविता : फसाना – श्री हितेश एच. बालिया, समुद्री वाणिज्य विभाग, कंडला	35
21.	माउंट आबू – एक यात्रा वृत्तांत : श्री नितिन देव जोशी, आयकर कार्यालय	36-38

शुभकामना संदेश

कंडला/गांधीधाम प्रक्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, इसे बढ़ावा देने और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम गठित है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम की अध्यक्षता दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के पास है। इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कंडला/गांधीधाम स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक इत्यादि सदस्य के रूप में शामिल हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना केंद्र सरकार के हर एक कार्यालय/उपक्रम/बैंक इत्यादि का दायित्व है। मुझे लगता है कि नराकास एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ केंद्र सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक इत्यादि सभी किसी विषय पर एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा और समीक्षा करते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम-12 के तहत कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होता है। अत: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम का अध्यक्ष होने के नाते नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि नराकास के इस मंच का लाभ उठाते हुए और इसके महत्व को समझते हुए नराकास द्वारा आयोजित छमाही समीक्षा बैठकों में अवश्य भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णयों को अपने कार्यालय में क्रियान्वित कर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। इन बैठकों में राजभाषा विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं जो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और समीक्षा हेतु सभी का मार्गदर्शन करते हैं।

नराकास के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि नराकास, कंडला/गांधीधाम की वार्षिक पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' का द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। सभी सदस्य कार्यालयों से मेरा अनुरोध है कि पत्रिका के ससमय प्रकाशन को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपने-अपने कार्यालयों की ओर से आपके कार्यालयों में की गई राजभाषा संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ उपयोगी और रोचक लेखक/कहानी/कविताएं इत्यादि समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। राजभाषा हिंदी के प्रसार-प्रचार हेतु पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सर्वसंबंधितों के प्रयासों की सराहना करते हुए और उन्हें बधाई देते हुए पत्रिका के प्रकाशन के उद्देश्य की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

संजय कुमार मेहता
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं
अध्यक्ष, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम)
केंद्रीय सदन, छठा तल, सी विंग, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई 400 614

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम द्वारा 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह सराहनीय कदम है। यह इस बात का प्रतीक है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने दायित्वों के प्रति सजग है। हमारा यह संवैधानिक दायित्व भी है कि हम कार्यालयों में हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पत्र-पत्रिकाएं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में और नई प्रतिभाओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाती हैं। पत्रिका में समसामयिक लेखों के साथ-साथ विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं आर्थिक जगत से संबंधित विषयों पर लेख प्रकाशित किए जा सकते हैं।

साथ ही, सदस्य कार्यालयों की गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि पत्रिका में प्रकाशित होने वाली रचनाएं रोचक और ज्ञानवर्धक होंगी तथा पाठकों को राजभाषा के प्रति प्रोत्साहित करेंगी।

मैं इस शुभ कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष एवं पत्रिका के संपादक मंडल को बधाई देती हूँ तथा पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्य
उप निदेशक (कार्यान्वयन)

शुभकामना संदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला-गांधीधाम की हिंदी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक के साथ पहली बार आप सबके सम्मुख अपनी बात रखते हुऐ मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत संघ सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनाया गया है। अत: केंद्र सरकार के कार्यालय या उपक्रम या बैंक आदि कार्यालयों में कार्य करने वाले हम सबकी जिम्मेदारी है कि न केवल अपने कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अपने कार्यालयीन कार्यो में प्रयोग करें बल्कि राजभाषा होने के नाते हिंदी का प्रचार-प्रसार करने वाली गतिविधियों और क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दें ताकि यथाशीघ्र भारत सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन इसी प्रकार की एक गतिविधि है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) एक महत्वपूर्ण मंच होता है जिसमें अलग-अलग प्रकृति और प्रकार के कार्यालय समिति के सदस्य के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। इस स्तर पर हिंदी पत्रिका का प्रकाशन सभी सदस्य कार्यालयों को आपस में एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करती है। मुझे हर्ष है कि मैं भी इस प्रकार की गतिविधि का एक हिस्सा बनकर आप सबसे जुड़ गया हूँ।

मैं पुन: नराकास की पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक के प्रकाशन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पत्रिका सभी सदस्य कार्यालयों और उनमें कार्य करनेवाले कार्मिकों को अपनी जानकारी/सृजित साहित्य/विचार/उपलब्धियाँ इत्यादि साझा करने का मंच अनवरत प्रदान करती रहेगी और अपने प्रकाशन के उद्देश्य में सफल होगी।

नंदीश शुक्ल, आईआरटीएस
उपाध्यक्ष, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र – गांधीधाम 370 230

शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला–गांधीधाम हिंदी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' का द्वितीय अंक प्रकाशित करने जा रही है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला–गांधीधाम राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सतत भूमिका निभा रही है। इसके कुशल प्रबंधन से नराकास, कंडला–गांधीधाम के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय में हिंदी के विकास को गति मिल रही है। पत्रिका के प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन व प्रेरणा मिलेगी। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

पत्रिका प्रकाशन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला–गांधीधाम एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाइयाँ एवं पत्रिका की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं।

डॉ. अमिय चन्द्र
विकास आयुक्त
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र

INCOME TAX DEPARTMENT

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)–कंडला/गांधीधाम द्वारा हिंदी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इससे न केवल राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सहायता मिलेगी बल्कि कंडला/गांधीधाम नगर प्रक्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में कार्यरत कार्मिकों को अपने विचार परस्पर साझा करने का एक मंच प्राप्त होगा। साथ ही राजभाषा के क्षेत्र में सभी सदस्य कार्यालयों की गतिविधियों के प्रदर्शन एवं आपसी समन्वय स्थापित करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा।

मैं आयकर कार्यालय, गांधीधाम की ओर से पत्रिका की सफलता हेतु पत्रिका के संपादक मण्डल एवं सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोगियों को बहुत–बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

संजय कुमार
संयुक्त आयकर आयुक्त
गांधीधाम रेंज, गांधीधाम

शुभकामना संदेश

मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि नराकास अपने स्तर पर अपनी पत्रिका ''कंडला नराकास संवाहिका'' के दूसरे अंक का प्रकाशन कर रहा है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका के माध्यम से न केवल सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा अपितु पत्रिका नराकास सदस्य कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने हेतु सकारात्मक वातावरण निर्मित करने में सहायक होगी ।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का मार्ग और सुगम होगा, साथ ही साथ इससे विभागीय प्रतिभाओं को भी निश्चित रुप से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा ।

मैं पत्रिका की सतत सफलता की कामना करता हूँ ।

ज्ञानचंद जैन
अपर आयुक्त
सीमा शुल्क, कंडला

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
समुद्री वाणिज्य विभाग

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नराकास कंडला/गांधीधाम के स्तर पर हिन्दी पत्रिका ''कंडला नराकास संवाहिका'' का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका के माध्यम से नराकास की गतिविधियों एवं विभिन्न कार्मिको द्वारा की गई रचनाओं को पढ़ने का और उनकी लेखन कला की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका में प्रकाशित लेख सभी पाठकजन को प्रोत्साहित और उनका ज्ञानवर्धन करेंगे ।

मैं पत्रिका की सतत सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ ।

संतोषकुमार एस दारोकर
प्रधान अधिकारी
समुद्री वाणिज्य विभाग, गांधीधाम - कंडला

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), कंडला/गांधीधाम जिसकी अध्यक्षता दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के पास है, की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' का द्वितीय अंक आप सभी के सहयोग और संपादक मंडल के सफल प्रयासों से आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है।

नराकास की गतिविधियों जैसे छमाही समीक्षा बैठकों, संयुक्त कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि के सफल आयोजन में सभी सदस्य कार्यालयों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। मुझे आशा है कि उसी प्रकार नराकास स्तर पर एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि अर्थात हिंदी पत्रिका के प्रकाशन में भी आप सभी का योगदान बढ़-चढ़ कर प्राप्त होगा। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना केंद्र सरकार के हर एक कार्यालय/उपक्रम/बैंक इत्यादि का दायित्व है। यह पत्रिका अपने इस उद्देश्य में सफल हो इसके लिए हम सभी को आगे बढ़कर अपना सहयोग देना परम आवश्यक है। इस पत्रिका के माध्यम से आप अपने मौलिक सृजन-क्षमता को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के विचारों को जान-समझ सकते हैं।

अंत में मैं पत्रिका के द्वितीय अंक के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों का अभिनन्दन करते हुए आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

टी. वेणु गोपाल
सचिव, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

शुभकामना संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नराकास के स्तर पर हिन्दी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से हमें विभिन्न विभागों के कार्मिकों द्वारा की गई रचनाओं को पढ़ने और उनकी लेखन-कला के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

मैं, पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

संजीव मेंघल
विमानपत्तन निदेशक
कंडला विमान क्षेत्र

शुभकामना संदेश

मैं इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को नराकास कंडला/गांधीधाम की प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' के द्वितीय अंक के अवसर पर पावरग्रिड की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।

साथियों, हम सभी जानते हैं कि राजभाषा विभाग के निदेशानुसार 'नराकास' का गठन हुआ है और जिसका उद्देश्य नगर में स्थित उपक्रमों में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है, कार्यालयों को उचित मार्गदर्शन देना है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कंडला/गांधीधाम की यह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने दायित्वों को लेकर काफी सजग और सक्रिय है। यह समिति नगर में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ाने हेतु कई तरह के आयोजन भी करती है।

आइए हम सब मिल कर यह प्रण करें कि हम सभी अपना ज्यादा से ज्यादा काम राजभाषा हिन्दी में करेंगे और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे।

शुभकामनाओं सहित,

के. बी. सुब्रमण्यम
महाप्रबंधक, भचाऊ

शुभकामना संदेश

अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि नराकास-गांधीधाम कंडला द्वारा हिन्दी पत्रिका ''कंडला नराकास संवाहिका'' के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

नराकास-गांधीधाम कंडला के सदस्य सचिव, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कंडला के हिंदी अधिकारी श्री शैलेंद्र पाण्डेय के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि राजभाषा कार्यान्वयन की बैठकें नियमित तौर पर होती हैं, जिसमें उप निदेशक-कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र की उपस्थिति भी रहती है।

नराकास के तत्त्वावधान में, सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं और अंतर सदस्य-कार्यालय हिन्दी प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छी भागीदारी देखने को मिलती है।

और अब नराकास-गांधीधाम कंडला द्वारा हिंदी पत्रिका का प्रकाशन एक मजबूत कदम है जो सभी सदस्य कार्यालयों और उनके कर्मचारियों को स्वरचित काव्य अथवा लेखन के प्रकाशन का समुचित अवसर प्रदान करता है और सबको प्रोत्साहित भी करता है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), कंडला टर्मिनल की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

राम विजय पाण्डेय
मुख्य इन्स्टॉलेशन प्रबंधक
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉ. लि., कंडला टर्मिनल

संपादकीय

नराकास का सदस्य सचिव होने के नाते अध्यक्ष, नराकास के संरक्षण में और सभी सदस्य कार्यालयों के सराहनीय सहयोग से नाराकास की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'कंडला नराकास संवाहिका' का द्वितीय अंक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है । समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग के मार्गनिर्देश के अनुपालन में इस अंक को ई-पत्रिका के रुप में प्रकाशित किया जा रहा है । तथापि यदि सभी सदस्य कार्यालयों की अपेक्षा और मांग प्राप्त होती है तो सदस्य कार्यालयों को पत्रिका की मुद्रित प्रति भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा । कोविड-19 के प्रकोप के चलते नराकास की निर्धारित गतिविधियों जैसे संयुक्त कार्यशाल ओं का आयोजन आदि में अवरोध आया है तथापि समय की मांग के अनुसार आगे ऑनलाइन माध्यम से गतिविधियों को मूर्तरूप देकर राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा ।

यह एक तथ्य है कि केंद्र सरकार की राजभाषा अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा 'हिंदी' है । संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना केंद्र सरकार के हर एक कार्यालय/उपक्रम/बैंक इत्यादि का दायित्व है । नराकास का गठन, अध्यक्षता, सदस्यता, सदस्य-सचिव, बैठकें, प्रतिनिधित्व एवं उद्देश्य आदि से संबंधित जानकारी पत्रिका के इस अंक में भी पुन: प्रस्तुत की गई है । नराकास की गतिविधियों जैसे छमाही समीक्षा बैठकों, संयुक्त कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों आदि के सफल आयोजन एवं पत्रिका के प्रकाशन आदि में सभी सदस्य कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी होना महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नराकास स्तर पर की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सदस्य कार्यालयों का सहयोग और सक्रिय भागीदारी आगे भी बढ़-चढ़ कर प्राप्त होती रहेगी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नराकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु 'कंडला-नराकास' नाम से सदस्य-सचिव द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है और उसमें विभिन्न सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों, राजभाषा समन्वयकों आदि को जोड़ा गया है । तथापि सभी सदस्य कार्यालयों से पुन: अनुरोध है कि संबंधित सदस्य कार्यालयों में स्थानांतरण/नियुक्ति आदि किसी परिवर्तन की स्थिति में व्हाट्सग्रुप/ईमेल/डाक के माध्यम से सदस्य-सचिव कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए ताकि नराकास के सदस्य कार्यालयों की जानकारी को अद्यतन रखा जा सके, क्योंकि सदस्य कार्यालयों की अद्यतन जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना अपेक्षित रहता है । नराकास, कंडला/गांधीधाम से संबंधित अद्यतन जानकारी राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नराकास की वेबसाइट narakas.rajbhasha.gov.in पर नराकास कार्यालय सं. 262 का चयन कर देखी जा सकती है ।

मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका अपने नाम के अनुसार ही कंडला, नराकास के सदस्य कार्यालयों के बीच संवाद एवं विचारों की संवाहिका का कार्य करेगी । साथ ही, न केवल सदस्य कार्यालयों में हो रही राजभाषा या अन्य विशिष्ट गतिविधियों के सार्वजनिक स्तर पर प्रदर्शन बल्कि सदस्य कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की मौलिक सृजन-क्षमता एवं उनके विचारों को एक दूसरे से साझा करने में एक सेतु का कार्य करेगी । पत्रिका का प्रकाशन नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा । पत्रिका अपने इस उद्देश्य में सफल हो इसके लिए हम सभी के लिए स्वत: आगे बढ़कर अपना सहयोग देना परम आवश्यक है ।

अंत में मैं पत्रिका के प्रवेशांक के प्रकाशन में अपना सहयोग देने वाले सभी सदस्य कार्यालयों, उनके कार्यालय प्रमुखों, सदस्य कार्यालयों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सहयोगी सभी कार्मिकों का अभिनंदन करते हुए आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले अंक के प्रकाशन में पुन: आप सभी का इससे भी अधिक सहयोग प्राप्त होगा । आप सभी के विचारों, प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों की प्रतीक्षा में.....आपका

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय
सदस्य-सचिव, नराकास, कंडला/गांधीधाम एवं हिंदी अधिकारी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
दूरभाष : 02836-221698 (का.) / 9320815312 ईमेल : hindiofficer@deendayalport.gov.in / hindikandlaport@gmail.com

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की वर्तमान व्यवस्था

परिचय

1. **नराकास का गठन :** राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

2. **अध्यक्षता :** इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।

3. **सदस्यता :** नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों (प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

4. **सदस्य-सचिव :** समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य सचिव द्वारा किए जाते हैं।

5. **बैठकें :** इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेंडर रखा जाता है जिसमें प्रत्येक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीना निर्धारित किया जाता है। इन बैठकों के आयोजन संबंधी सूचना समिति के गठन के समय दी जाती है और निर्धारित महीनों में समिति को अपनी बैठकें करनी होती हैं। नराकास, कंडला/गांधीधाम की बैठकों के लिए जनवरी एवं अगस्त माह निर्धारित हैं।

6. **प्रतिनिधित्व :** इन समितियों की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिंदी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

7. **उद्देश्य :** केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलत: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संबंधी संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी आदेश

नराकास विषय पर संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर पिछले खण्डों की संस्तुतियां और उन पर पारित आदेश निम्न प्रकार है :-

परिचय

संस्तुति सं.	संस्तुति	आदेश
छठे खण्ड की संस्तुति सं. 11.5.17	कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है । अत: समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाएं और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जाएं ।	समिति की यह सिफारिश इन संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश जारी किए जाएं ।
सातवें खण्ड की संस्तुति सं. 16.5 (ज)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान को स्वयं उपस्थित होना चाहिए ।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालयों/विभागों अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों और कार्यालयों के प्रमुखों, बैंकों आदि को निदेश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें ।
सातवें खण्ड की संस्तुति सं. 16.5 (झ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए ।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णय पर कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें ।
सातवें खण्ड की संस्तुति सं. 16.5 (ट)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम दो बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से स्वयं भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूर्ण रूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं ।	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं । इन बैंठकों में कार्यालय अनिवार्य रूप से भाग लें । इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें ।
सातवें खण्ड की संस्तुति सं. 16.5 (ड)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाएं तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना, बैठक स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

सातवें खण्ड की संस्तुति सं. 16.5 (ढ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा समारोह/संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरुकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने ।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है ।
आठवें खण्ड की संस्तुति सं. 16	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि की सीमा रु. 3000/- से बढ़ाकर रु. 10000/- कर देना चाहिए अथवा सदस्य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान को संहिताबद्ध (कोडिफाई) किया जाए ताकि सदस्य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्यालयों से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए ।
आठवें खण्ड की संस्तुति सं. 17	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं ।
आठवें खण्ड की संस्तुति सं. 18	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएं।
आठवें खण्ड की संस्तुति सं. 20	नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए ।
आठवें खण्ड की संस्तुति सं. 22	अध्यक्ष, नराकास, मंडी, अध्यक्ष, नराकास (बैंक), इंदौर, अध्यक्ष, नराकास, शिमला, अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय), चंदीगढ़, अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम), मुंबई, अध्यक्ष, नराकास(बैंक), बड़ौदा, अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय), त्रिवेंद्रम, अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय), कोचिन, अध्यक्ष, नराकास, मदुरै, अध्यक्ष, नराकास, कोयम्बतूर, अध्यक्ष, नराकास(बैंक), बेंगलोर (अध्याय 8 के पैरा 8.33.8.45 में) द्वारा दिए गए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों से प्राप्त सुझावों पर राजभाषा विभाग उचित कार्यवाही करें ।	सिफारिशों पर राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यथासंभव अनुपालन किया जाए ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम (कोड सं. 262) के विद्यमान सदस्य कार्यालयों के नाम एवं पते

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
संयोजक कार्यालय, नराकास
प्रशासनिक कार्यालय भवन,
पो.बॉ.सं. 50, गांधीधाम
कच्छ-370 201

संयुक्त आयकर आयुक्त का कार्यालय
आयकर भवन,
आई.टी.ओ. वार्ड-1,
प्लाट नं. 20 ए, सेक्टर-8,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
इकाई डीपीटी कंडला,
पोस्ट : नया कंडला
कच्छ - 370 210

गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय
कंडला बंदर गेट के पास,
पोस्ट बॉक्स सं. 18,
नया कंडला - कच्छ 370 201

सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय
स्टाफ क्लब, प्रथम तल,
गोपालपुरी पोर्ट कॉलोनी,
गांधीधाम, कच्छ - 370 240

समुद्री वाणिज्य विभाग,
पोत परिवहन मंत्रालय,
प्लॉट सं. 16, सेक्टर-8,
डीपीटी प्रशासनिक कार्यालय भवन
के पीछे, गांधीधाम, कच्छ 370 201

वीटीएस निदेशालय
दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय
दीप भवन, प्लाट नं. 17,
सेक्टर-8, गांधीधाम
कच्छ - 370 201

मुख्य डाकघर गांधीधाम
सेक्टर-8, वार्ड-8,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
कंडला इंस्टालेशन, खारी रोहर रोड,
पो.बॉ.नं. 33,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
नवीन सीमा शुल्क भवन, नया कंडला,
कच्छ-370210

विमानपत्तन निदेशक कार्यालय
नागर विमानक्षेत्र कंडला
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पोस्ट-गोपालपुरी, गांधीधाम,
कच्छ - 370 240

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
कंडला मेन टर्मिनल,
खारी रोहर, पो.बॉ.नं. 37,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

नमक अधीक्षक का कार्यालय
गांधीधाम चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्रीज बिल्डिंग,
प्लॉट नं. 71, सेक्टर-8, प्रथम तल,
गांधीधाम-कच्छ 370 201

क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय
पश्चिम रेलवे
नटराज होटल के पीछे, रेलवे कॉलोनी,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
कंडला टर्मिनल,
खारी रोहर रोड, कंडला,
पो.बॉ.नं. 43, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

पोतपत्तन स्वास्थ्य संगठन
पी.ओ. दीनदयाल पोर्ट, नया कंडला,
कच्छ - 370 201

केन्द्रीय विद्यालय रेलवे
रेलवे कॉलोनी, होटल बंसल के पीछे,
पो.बॉ.सं. 24, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

भारत संचार निगम लिमिटेड
टेलीफोन एक्सचेंज, दूसरा तल,
सेक्टर-8/A, टैगोर रोड,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

विकास आयुक्त का कार्यालय
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,
एनएच-8/A, गांधीधाम,
कच्छ-370 230

केन्द्रीय विद्यालय इफ्को
उदय नगर, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

केंद्रीय भंडारण निगम
शिरवा रेलवे स्टेशन के पास,
नया कंडला, कच्छ 370 210

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम (कोड सं. 262) के विद्यमान सदस्य कार्यालयों के नाम एवं पते

गेल (इंडिया) लिमिटेड
इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन,
कि.मी. 270 स्टोन,
सामाखियाली, एनएएच-लाकडिया,
ता.-भचाऊ, कच्छ - 370 201.

भारतीय खाद्य निगम
एस.आर.सी. बंगला नं. 21-26,
वार्ड सं.2-बी, आदिपुर,
कच्छ-370 205

पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
400/220, के.वी.भचाऊ उपकेंद्र,
पोस्ट ऑफिस-भीमासर-सी,
तालुका-अंजार, कच्छ (गुजरात)

भारतीय जीवन बीमा निगम
प्लॉट सं. 312, वार्ड-12बी,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
किरण चैम्बर्स, वार्ड-9, प्लॉट नं. 11,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
प्लॉट सं. 13, सेक्टर-9,
देना बैंक के ऊपर,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
प्लॉट नं. 341, वार्ड-12/बी,
आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
दर्शन चैम्बर्स, प्लॉट नं. 10,
सेक्टर-1ए, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
शॉप नं. 53, 54, 55 सिल्वर ऑर्क,
प्लॉट नं. 57, सेक्टर-8, टैगोर रोड,
गांधीधाम - 370 201

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल,
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (कासेज),
गांधीधाम, कच्छ - 370 230

बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक)
प्लॉट नं. 13, सेक्टर-9,
पो. बॉ. नं. 8, बैंकिंग सर्कल,
गांधीधाम, कच्छ-370 201

बैंक ऑफ़ इंडिया,
प्लॉट नं. 1, सेक्टर-9,
बैंकिंग सर्कल,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

यूको बैंक
प्लॉट सं. 6-7, सेक्टर-9,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

इंडियन ओवरसीज बैंक
सेक्टर-4, प्लॉट नं. 91-100,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

सिंडिकेट बैंक
डीबीजेड(एन)-117, वार्ड सं. 12ए,
चन्दन कॉम्प्लेक्स, मेन मार्केट,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
आरती कॉम्प्लेक्स, सीबीजेड एस-48,
ग्राउंड फ्लोर, नगरपालिका के सामने,
रोटरी भवन, गांधीधाम, कच्छ-370 201

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

पंजाब नेशनल बैंक
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

कॉरपोरेशन बैंक
तलवास बिल्डिंग, डीबीजेड-193/एन,
शिव रिजेंसी के सामने, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
डी.बी.जेड.-33-34 दक्षिण,
मेन मार्केट रोड, वार्ड-12/ए,
गांधीधाम, कच्छ - 370 201

पंजाब एंड सिंध बैंक
प्लॉट नं. 334, वोर्ड-12/बी,
आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्लॉट नं. 334, वोर्ड-12/बी,
आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, गांधीधाम,
कच्छ - 370 201

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश ।

संकल्प

20012/01/2017-रा.भा.(नीति) - राजभाषा अधिनियम, 1963की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबन्धित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का नौंवा खण्ड राष्ट्रपति जी को 02.06.2011 को प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अंतर्गत इसकी प्रतियां लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 30.08.2011और दिनांक 07.09.2011 को रखी गई। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को इसकी प्रतियाँ भेजी गई। उनसे से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
1	समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार विमर्श कर ले। तत्पश्चात, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उन आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे।	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार की जाती है। यथावश्यक राजभाषा विभाग द्वारा समिति के साथ परामर्श भी किया जाएगा। राष्ट्रपति जी के आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिबद्ध है।
2	समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
3	समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जिन मंत्रालयों/विभागों में 25% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में अप्रशिक्षित पाए गए थे उनकी स्थिति में अब निश्चित रूप से सुधार हुआ है परन्तु जिन मंत्रालयों/विभागों में जहां उस समय प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका था अब हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि ये मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
4	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घटने न पाए बल्कि इसमें वृद्धि ही हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
5	समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिंदी में हो रहा है। विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
6	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7	सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8	सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9	हिंदी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। "क"एवं "ख"क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग"क्षेत्र में समयबध्द कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
10	कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13	प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।	
14	प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
15	सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में दो कॉलम जोड़े जाएं:- (क)अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिंदी में कार्य करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (ख)अधिकारी/कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ, इस बारे में उच्चाधिकारी अपनी टिप्पणी दें।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
16	समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य हो चाहे किसी भी स्तर पर हो। यह निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17	मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
18	सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
19	राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित मुद्दे भी समाहित करें:- क.क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है ? ख.क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ? ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम घ.यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई ?	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
20	परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम, अनुभवी हिंदी अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। किसी अन्य अधिकारी जो हिंदी अधिकारी नहीं है उसे यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। नराकास की गतिविधियों को अनवरत रखने के लिए राजभाषा अधिकारी को ही नराकास के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास अध्यक्ष के कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद न होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने कार्यालय या किसी अन्य सदस्य कार्यालय से किसी ऐसे अधिकारी को सदस्य सचिव मनोनीत करे जो राजभाषा नीति व कार्यान्वयन के बारे में जानकारी रखता हो।
21	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए। साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृध्दि की जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए।
22	सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
24	परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र क, ख तथा ग में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
25	राजभाषा विभाग को नराकास की बैठकों के आयोजन, उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ किया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
26	जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढाई जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
27	समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिंदी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी साफ्टवेयरों में लोड किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
28	समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
29	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरुकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बध्द कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
30	सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को इस प्रकार प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है। अत: सॉफ्टवेयर विकास करने वाले अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी-डैक सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार कर सकता है, ताकि ये प्रशिक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के उपभोक्ताओं तक यह कौशल पहुंचा सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
31	सभी सॉफ्टवेयर विकासकों (सी-डैक और अन्य) के लिए सुझाव है कि उपभोक्ताओं से पुनर्निवेशन प्रतिपुष्टि की एक प्रक्रिया शुरू करें और इसके आधार पर इनकी आवश्यकतानुसार अपने उत्पाद में बदलाव लाए तथा अभावों को यदि कोई हो दूर कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
32	सभी हिंदी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं। उन्हें हिंदी संबंधित कार्य और यूनीकोड का अभ्यास करवाया जाए। उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए। उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं, तत्पश्चात् अन्य हिंदी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
33	मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिंदी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रयास के रूप में देश में केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाए।	यह संस्तुति सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की जाती है। केंद्र सरकार इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार लेकर नीति बनाए।
34	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने संसद तथा विधान सभाओं में कुछ कानून बनाए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिद्धांत होने	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय कार्ययोजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के पटल पर रखे।	
35	जिन विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी विभाग नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनका पता लगाकर वहाँ हिंदी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यह विभाग हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए सहायता दे सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
36	जिन हिंदीतर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं/साक्षात्कारों में परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प नहीं है उनमें परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
37	हिंदीतर राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
38	हिंदी में पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों, जिन्हें हिंदी का भी ज्ञान हो, से ही तैयार करवाया जाए तथा उन्हें ही हिंदी पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
39	स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिंदी में भी उपलब्ध करा दी जाए, तो हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
40	ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों को सरल हिंदी में लिखा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
41	तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिंदी लेखकों तथा अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि केंद्र सरकार तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करे।
42	विभिन्न निरीक्षणों मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अतः हिंदी की पाठ्यसामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
43	विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिंदी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिससे राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अतः इसके लिए शीघ्र मानक शब्दावलियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अंग्रेजी के विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों में एकरूपता आ सके तथा जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिंदी में प्रस्तुत किया जा सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
44	शिक्षण संस्थाओं में हिंदी शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
45	केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
46	सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी ज्ञान का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
47	स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिंदी शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हाई स्कूल में हिंदी विषय को 'क' क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से विचार करने के पश्चात नीति निर्धारित करे।
48	समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन

	में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।	खंड - 8 की सिफ़ारिश सं॰ 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं॰ 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
49	जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
50	जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हो वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
51	लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
52	समिति का मत है कि वैज्ञानिक/अनुसंधान एवं शोध संस्थानों द्वारा एक बड़ी राशि पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाती है। यदि यह छूट जारी रही तो पुस्तकालय की बजट के अधिकांश राशि जर्नल और संदर्भ साहित्य की खरीद पर ही व्यय होती रहेगी और हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके लिये लक्ष्य प्राप्ति करना मुश्किल होगा। अतः इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों पर होने वाली कुल राशि का 50% हिंदी की पुस्तकों पर खर्च किया जाए। समिति का सुझाव है कि जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
53	मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
54	सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
55	अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए। इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार कीजातीहै।
56	समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
57	समिति का मत है कि एयर इंडिया अपनी समय सारणी द्विभाषी रूप में छपवाएं ताकि नियमों की अवहेलना न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
58	समिति यह संस्तुति करती है कि स्वागत पत्रिका को पुनः एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। एयर इंडिया द्वारा प्रकाशित 'शुभयात्रा' पत्रिका एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।
59	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में एक अलग कॉलम "हिंदी में लेख आदि लिखने की क्षमता" पर विचार करें।	यह संस्तुति स्वीकार नहींकीजातीहै।
60	समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिंदी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
61	रेल मंत्रालय द्वारा भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रानिक यंत्र/ उपकरण ही खरीदे जाएं और प्रयोग में लाए जाएं	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	जिन पर देवनागरी में भी कार्य करने की सुविधा हो। जो टेलिप्रिंटर / टेलेक्स, कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि केवल रोमन के हैं, उन पर अविलम्ब देवनागरी में कार्य करने की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।	
62	नए सृजित हिंदी पदों तथा खाली पड़े हिंदी पदों को तत्काल भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
63	हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन नामक संस्थान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर रेलवे विभाग में हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देने, कंप्यूटर पर हिंदी सिखाने तथा हिंदी सॉफ्टवेयर विकसित करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस संस्थान को रेल मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि स्व विकसित प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से रेल मंत्रालय की बाहरी संसाधनों (Out Sourcing) पर निर्भरता समाप्त की जा सके।	हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन के वर्ष 2006 में विघटित हो जाने के कारण यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
64	रेलवे बोर्ड तथा देश भर में स्थित उसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटरों में उपयोग में लाए जा रहे हिंदी सॉफ्टवेयरों का मानकीकरण किया जाना चाहिए।	सभी मंत्रालय/विभाग यूनिकोड और यूनिकोड समर्थित फौंट्स इस्तेमाल करें।
65	पूरे देश में विशेषकर "ग" क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं सहित हिंदी में भी अनिवार्य रूप से उद्घोषणाएं की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
66	रेल मंत्रालयों के उपक्रमों/कारखानों द्वारा निर्मित उत्पाद का नाम तथा अन्य विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
67	रेल मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से संबंधित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए और इन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
68	रेल मंत्रालय की तीन आधिकारिक वेबसाइट मौजूद होने के कारण कई बार भ्रामक स्थिति पैदा होती है। अत: स्थिति स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और उसे पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि सभी वेबसाइट सदैव पूर्णत: द्विभाषी रूप से उपलब्ध रहे।
69	सभी रेल टिकटों में पूरी जानकारी द्विभाषी रूप में ही दी जानी चाहिए ताकि हिंदी पढने समझने वाले जन साधारण को असुविधा न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
70	रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए और विभिन्न रेल गाड़ियों के डिब्बों के अंदर और बाहर दिए जाने वाले विज्ञापनों में हिंदी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। विशेषकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे के परिसर में विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
71	रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निविदाओं की सूचना एवं फार्म द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
72	हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विदेश मंत्रालय का एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विदेश मंत्रालय हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए वित्तीय खर्च का अनुमान लगाकर कार्य योजना तैयार करने पर विचार करे।
73	सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा आवेदकों द्वारा हिंदी में भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किए जाएंगे। जारी किए गए सभी पासपोर्टों में संपूर्ण प्रविष्टियां हिंदी में भी की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
74	मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य सूचना हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
75	विदेश मंत्रालय के विदेशों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों/दूतावासों इत्यादि में हिंदी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों/दूतावासों में हिंदी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
76	विदेश सेवा के अधिकारियों को संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
77	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिवस' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
78	सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिंदी में ही किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
79	राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
80	एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि०द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
81	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
82	भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
83	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबध्द कार्रवाई की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
84	मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय-बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
85	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
86	नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं "स्वागत"और "नमस्कार"के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके।	संस्तुति संख्या 58 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई हो।
87	मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
89	आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिंदी के सभी अनुवादक-सह-उद्घोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
90	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामत: भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिंदी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिंदी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

91	देश भर में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत इनमें लंबे समय से रिक्त पड़े हिंदी पदों को प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
92	आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा हिंदी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
93	प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों के संकलन का हिंदी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
94	मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा देश में आयोजित किए जाने वाले सभी फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट फिल्मों के जरिए दर्शकों को हिंदी से जोड़ा जा सके।	फिल्म डबिंग यूनिट बंद हो जाने से यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
95	मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, निगम द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी अपने उपनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि निगम द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण के प्रथम चरण में फिल्मों की पटकथा हिंदी में भी तैयार की जा सके और सभी संबंधितों को सुलभ कराई जा सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
96	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वेबसाइट पर दी गई सूचना को अद्यतन करते समय इसके हिंदी पाठ को भी उसी समय अद्यतन किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
97	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि का संकलन प्रकाशन विभाग के माध्यम से प्रकाशित कराया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को द्विभाषी रूप में सर्वसुलभ कराएगा।
98	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अधीनस्थ संगठन है जो प्रशासन एवं लोक नीति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है जिसका मुख्य कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शत प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
99	समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे, ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
100	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस एवं कारगर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
101	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंतर्विभागीय परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प चुनने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
102	एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कर्मचारी चयन आयोग के अधीन इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों /कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा इन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
103	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण परीक्षाओं का तकनीकी विषय होना बताया गया है। समिति इसे स्वीकार करने से इंकार करती है और यह सुझाव देती है कि प्रतिभाशाली हिंदी भाषी परीक्षार्थियों को समुचित अवसर देने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	
104	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति का निर्धारण करने एवं इन उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार को सलाह देने के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
105	सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिंदी बोलनी और पढनी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढे इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है
106	संसद में हिंदी या मातृभाषा का उपयोग करने के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद, 120(2) का पालन कराने के लिए योग्य पहल करनी चाहिए।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
107	अंग्रेजी के प्रभुत्व को (उपयोग को नहीं) जड़ से समाप्त करने, हिंदी या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा न देने वाली शालाओं को शासकीय मान्यता नहीं देनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
108	केन्द्रीय कार्यालयों में काम चाहने वालों को पद के अनुसार हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
109	विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने का प्रावधान करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
110	राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए। "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए दण्ड का प्रावधान अनिवार्य हो। "ग" क्षेत्र के लिए प्रोन्नति में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
111	सभी सरकारी उपक्रमों, सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं सार्वजनिक सेवा में लगी निजी कंपनियों को अनिवार्य किया जाए । अंग्रेजी से उनकी संख्या अधिक हो । संख्या पर जोर दिया जाना चाहिए ।	यह संस्तुति केंद्र सरकार के कार्यालयों में लाग करने के लिए स्वीकार की
112	सरकारी प्रेसों में जो भी छपाई हो उसमें हिंदी की संख्या आधे से अधिक हो	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है ।
113	सभी भारतीय हवाई जहाजों पर हिंदी के पत्र और पत्रिका आधा जरुर रहें । विमानों में हिंदी की घोर उपेक्षा की जाती है । सभी उद्घोषणा हिंदी के साथ -साथ अंग्रेजी में हो ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है । नागर विमानन मंत्रालय सरकारी विमानन कंपनियों में इसे लागू करना सुनिश्चित करें ।
114	सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट पर या नामपट्ट देवनागरी में लगाया जाए । सभी सरकारी अर्धसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए ।	इस विषय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3) व इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए ।
115	सभी कंपनीयों के उत्पादों पर हिंदी में विवरण दिये जाये और उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए ।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/संगठन/संस्थान इसका पालन करें ।
116	जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो ।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है ।
117	अनुलग्नक-3 पर राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति का मत है कि राजभाषा विभाग उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए द्रुत गति से कार्य करे ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है ।

नराकास राजभाषा शील्ड योजना–2018

(दिनांक 23-08-2019 को आयोजित बैठक के दौरान पुरस्कार वितरण)

बैठक की अध्यक्षता कर रहे कासेज आयुक्त डॉ. अमिय चंद्र जी के करकमलों से नराकास राजभाषा शील्ड योजना–2018 हेतु सरकारी कार्यालय वर्ग में प्रथम पुरस्कार की राजभाषा शील्ड और प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य अभियंता श्री सुरेश पाटिल एवं वरिष्ठ उप सचिव श्री वाई.के.सिंह

बैठक की अध्यक्षता कर रहे कासेज आयुक्त डॉ. अमिय चंद्र जी के करकमलों से नराकास राजभाषा शील्ड योजना–2018 हेतु सरकारी कार्यालय वर्ग में द्वितीय पुरस्कार की राजभाषा शील्ड और प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, कंडला के सहायक आयुक्त श्री अनिल कुमार मौर्या जी

बैठक की अध्यक्षता कर रहे कासेज आयुक्त डॉ. अमिय चंद्र जी के करकमलों से नराकास राजभाषा शील्ड योजना–2018 हेतु सरकारी उपक्रम कार्यालय वर्ग में प्रथम पुरस्कार की राजभाषा शील्ड और प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंडला टर्मिनल के मुख्य प्रबंधक श्री राम विजय पांडेय जी

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नराकास सदस्य कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19-09-2019

प्रथम पुरस्कार

श्री मनोज कुमार सिन्हा, डीपीटी

श्री मनीष सिंह, एमएमडी

द्वितीय पुरस्कार

डॉ. महेश बापट, डीपीटी

श्रीमती संगीता खिलवानी, डीपीटी

श्री सुगनलाल, केन्द्रीय विद्यालय, रेलवे

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नराकास सदस्य कार्यालयों में कार्यरत कार्मिको हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19-09-2019

तृतीय पुरस्कार

श्रीमती ज्योति भावनानी, डीपीटी

श्री कैलाश सासिया, डीपीटी

श्री अमरेन्द्र कुमार, पश्चिम रेलवे

श्री प्रशांत कुमार, आयकर कार्यालय

प्रोत्साहन पुरस्कार

श्रीमती विभा किरण, सीआईएसएफ

श्री अनुभव गुप्ता, डीपीटी

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन (दि. 20-01-2020)

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), कंडला/गांधीधाम के तत्वावधान में दिनांक 20 जनवरी 2020 को एक हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी में संकाय के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई के उप निदेशक (पश्चिम) डॉ. विश्वनाथ झा जी उपस्थित रहे और उन्होंने 'राजभाषा हिंदी और प्रौद्योगिकी' विषय पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया । नराकास के सदस्य के रूप में कंडला/गांधीधाम स्थित डीपीटी सहित विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों के कई अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और व्याख्यान का लाभ उठाया । सभी सहभागियों ने श्री झा साहब के प्रति उनके व्याख्यान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और संतोष प्रकट किया । संगोष्ठी के उद्घाटन के सुअवसर पर दीनदयाल पोर्ट के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्री डी.एन.सौंधी, मुख्य अभियंता श्री सुरेश पाटिल और वरिष्ठ उप सचिव श्री वाई.के.सिंह उपस्थित रहे।

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय हिंदी आशुलिपि परीक्षा का आयोजन (दि. 21/22-01-2020)

दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2020 को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में नराकास के तत्वावधान में चल रहे अंशकालीन हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र में हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय हिंदी आशुलिपि परीक्षा का डॉ. विश्वनाथ झा, उप निदेशक (पश्चिम), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की निगरानी में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दो-दिवसीय हिंदी आशुलिपि परीक्षा में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के 15 निजी सचिवों/निजी सहायकों/आशुलिपिकों ने भाग लिया। 03 कार्मिकों ने हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की।

भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, गांधीधाम द्वारा संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कंडला–गांधीधाम के तत्वावधान में भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, गांधीधाम द्वारा संयुक्त हिंदी कार्यशाला दिनांक 25-09-2019 को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के प्रशिक्षण कक्ष में आयोजित की गई ।

बदले दिन

श्रीमती संगीता खिलवानी
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

हंसते चीखते गली मोहल्ले,
अब वीरान से हो गए हैं ।
शहर के सारे चौराहे,
अब सुनसान हो गए हैं ।
पर घर परिवार के लोग,
घरों में कैद हो गए हैं ।
और परिवार तक ही,
अब सीमित हो गए हैं ।
और बनावटी दुनियाँ को,
अब तो भूल से गये हैं ।

महानगर बेहाल हो गए है,
मोल सिनेमा बंद हो गए है ।
पर गांवों के चौपाल,
अब आबाद हो गये है ।
क्योंकि गांवो के वासिंदे,
गांव लौट आये हैं ।
और गाँवों में शहरों जैसी,
चहल पहल बढ़ाये हैं ।
छोड़कर चकाचौंध शहरों की,
सुख शांति से जीने आये हैं ।

बेटा बहू नाती पोते आदि,
गांव परिवार में लौट आये हैं ।
और सुख दुख के लिए,
अपनो के बीच आ गये हैं ।
और आधुनिकता को अब,
शहरों में छोड़ आये हैं ।
और गांव की खुली हवा में,
मानो वो अब जीने आये हैं ।
और अपनी पुरानी संस्कृति को
अब ठीक से समझ पाये हैं ।
जिंदगी की बहुत बड़ी सीख,
दुनियाँ वालो को मिली है ।
बनाबटी चकाचौंध क्या है,
ये दुनियाँ को समझ आया है ।
विश्वशक्ति बनाने के चक्कर में,
अपने घरों को आग लगा दी ।
और इसके अच्छे बुरे परिणाम,
पूरे विश्व को दिला दिऐ हैं ।

इससे तो हमलोग अच्छे थे,
अपने पुराने दौर में
जिसमें रूखी सुखी खाकर,
कम से कम शांति से जीते थे ।

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला–गांधीधाम के तत्वावधान में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संयुक्त हिंदी कार्यशाला दिनांक 29-09-2019 को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के प्रशिक्षण कक्ष में आयोजित की गई ।

दोहे

भारत माँ के नयन दो हिन्दू–मुस्लिम जान,
नहीं एक के बिना हो दूजे की पहचान ।

हिन्दी, हिन्द की है पहचान,
इसलिए इस देश को कहते हिन्दुस्तान ।

अपना ही हित साधते, सारे देश विशेष,
सर्व–भूत–हित–रत सदा, वो है भारत देश ।

जो प्रकाश की साधना, करता आठो याम,
आभा रत को जोड़कर, बनता भारत नाम ।

हमने इक परिवार ही, माना सब संसार,
सदा सदा से हम रहे, सभी द्वैत के पार ।

हम कितना जीवित रहे, इसका नहीं महत्व,
हम कैसे जीवित रहे, यही तत्व अमरत्व ।

श्री धर्मेन्द्र कुमार
समुद्री वाणिज्य विभाग, गांधीधाम

भारत बहुत ही न्यारा है

श्रीमती ज्योति भावनानी
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

मेरा भारत बहुत ही न्यारा है
मुझे प्राणों से भी प्यारा है ।
यहाँ भांति-भांति के लोग रहते हैं
मिलकर हर पर्व मनाते हैं ।
यहाँ जात-पात का भेद नहीं है,
काले गोरे का फर्क नहीं है ।
यहाँ कल-कल नदियाँ बहती हैं,
यहाँ झरनो का कोई छोर नहीं है ।
यहाँ ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं,
जो मेरे देश की शोभा हैं ।
यहाँ दूर से पर्यटक आते हैं,
और प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं ।
यहाँ हर ओर हरियाली है,
फूलों कलियों की क्यारी है ।
यहाँ गाँव गाँव जो बसते है,
यहाँ सादगी में सब रहते है ।
यहाँ सब कुछ शुद्ध व सात्विक होता है,
यहाँ कहीं मिलावट न होती है ।
यहाँ रिश्ते भी वास्तविक होते हैं,
सब मिल-जुलकर के रहते हैं ।
यहाँ भाई-चारा सब का नारा है,

मातृभूमि के प्रति फर्ज निभाएँ

स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं,
आजादी का जशन मनाएं ।
खुशियों के हम दीप जलाएं,
देशप्रेम के गीत चलाएँ ।
बच्चों को भी हम सिखाएं,
वीर-जवानों के किस्से सुनाएँ ।
वीरो को हम बिल्कुल न भुलाएँ
उनके त्यागो पे सर को झुकाएँ ।
देश प्रेम की जोत जगाएँ
मातृभूमि के प्रति फर्ज निभाएँ ।
लालच को खुद से दूर भगाएँ,
मन के विकारों से खुद को बचाएँ ।
अपनी अन्तरात्मा को हम जगाएँ,
जात-पात का भेद भुलाएँ ।
आपस में भाईचारा निभाएँ
मिलकर हम कदम उठाएँ ।
सच्चाई को हम अपनाएँ
देश के दुश्मनो को चने चबवाएँ ।
स्वदेशी को हम अपनाएँ,
अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएँ।

नारी

श्रीमती रंजन आर. शर्मा
भारतीय जीवन बीमा निगम
गाँधीधाम

आओ हम सब मिलकर गाएँ
देश की नारी के गुणगान
नारी है सबसे महान
आकाश में पाताल में
नारी ने किया कमाल रे
फिल्म हो या टी.वी.
विज्ञान हो या अंतरिक्ष
पहुंचाए उसने पाँव
नारी है सबसे महान
डॉक्टर हो या इंजीनियर
ड्राईवर हो या कंडक्टर
शिक्षक हो या शेफ भी
जल में हो या थल में
घर में हो या बाहर भी
करती है नारी ही काम
फिर बेटी जन्म पर
लोग क्यूँ होते हैं उदास
कई बार तो कोख से ही
ले लेते हैं उनके प्राण
इस तरह चलता रहा तो
धरा हो जाएगी वीरान
प्रकृति सौंदर्य में भी
नारियों बिना नही श्रृंगार
बहू हो या भाभी
कहाँ से आएगी द्वार
बेटो की संख्या बढ़ी
बेटियों की संख्या घट रही
सूना पड़ा रे संसार
नारी है सबसे महान
इसलिए कद्र करो बेटी के जन्म की
नारी के सम्मान की
बेटी को पढ़ाओ, बढ़ाओ और
मजबूत बनाओ
इसी में है देश की शान
नारी है देश की शान
नारी से है परिवार,
नारी है सबसे महान

श्री नरेश कुमार
सहायक कार्यकारी अभियंता (इ.),
(नामित राजभाषा अधिकारी)
दीपस्तम्भ और दीपपोत निदेशालय, दीप भवन,
(वी.टी.एस.) गांधीधाम

मानवीय जीवन की विडम्बना

यह मानवीय जीवन विडम्बना से भरा है । आज का सामाजिक परिवेश, न जाने किस दिशा में बढ़ रहा है । संतुष्टि नामक जीव हमारे जीवन से विलुप्त-सा हो गया है । जहाँ देखो वहाँ असंतुष्टि व्याप्त है । मानव की तृष्णा किसी भी स्तर पर असंतुष्ट/क्षुब्ध ही रह रही है । कोई बिज़नेस में खुश नही है, तो कोई नौकरी में । कोई डॉक्टर बन कर खुश नहीं है तो कोई इंजीनियर बन कर । कोई कलाकार बन कर खुश नही है तो कोई सलाहकार बन कर । मानो मानव की जिंदगी उस कुत्ते जैसी हो गयी है जो किसी वाहन के पीछे दौड़ता तो जरुर है, पर पता नही क्यों दौड़ रहा है । उसी प्रकार लोग अलग-अलग होड़ में दौड़ रहे हैं । किसी को सफलता चाहिए तो किसी को पैसा चाहिए लेकिन सफलता/पैसा मिलने के बाद, पता नही अब उन्हें क्या चाहिए । कहीं ऐसा तो नहीं की लोगों को वही चाहिए जो दूसरों के पास है ? अर्थात लोगों को ऐसा लगता है कि जो उसके पास नही है, शायद वही वस्तु उसे खुशी देगी और लोग लगे हैं इसी होड़ में । यह एक विडम्बना नही तो और क्या है ।

अभी भारत में एक ऐसा वाक्या घटित हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की आत्म हत्या, जिसने सभी वर्ग के लोगों को झकझोड़ दिया । अभी अपनी जीवन में सफ़लता के लिए जूझ रहे नवयुवकों के लिए तो एक बहुत ही बुरा मैसेज है कि ''आप जिस सफ़लता के पीछे दौड़ रहे है, उस सफ़लता के मिलने के बाद फिर क्या ? ''सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी कम उम्र में इतनी सफ़लता पाई, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ ? जो लोग खासकर एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनमें तो एक गज़ब सी नेगेटिविटी फैली है । क्या इतना सफ़ल होने के बाद भी कुछ ऐसे मुक़ाम आ सकते हैं, जिन क्षणों में, सुसाइड जैसी भावनाएं आ सकती हैं । लोग सुसाइड क्यूं करना चाहते हैं ? क्यूं उनको अपनी जिंदगी लक्ष्य विहीन लगती है ? क्यूँ उनको सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है ? क्यूं उनको सारे रिश्ते-नाते, झूठे लगने लगते हैं? क्यूं उनको हर अपना पराया लगने लगता है ? क्या हमारे सामाजिक जीवन के मूल्यों का हनन हो रहा है? क्या लोगों में मानसिक उत्पीड़न इतना बढ़ गया है कि लोग किसी को सुनने या बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है ? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि लोग हर अवस्था में सकारात्मक विचार ही रखें । सकारात्मकता एक ऐसी कुंजी है जिससे हर निराशा रूपी ताले को खोला जा सकता है । एक ऐसा प्रसंग भी है कि किसी भी विकट परिस्थिति में, यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो, हमेशा एक सुनहरी रेखा होती है जो हमें उस विकट परिस्थिति के पार कर सकती है। जरुरी बस नज़रिये को बदलने की है । एक और प्रसंग बहुत लोकप्रिय है : ''सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे; किश्तियाँ बदलने की जरुरत नहीं, कश्ती की दिशा बदलो, किनारे बदल जायेंगे'' । अर्थात अपने जीवन का अंत कर कश्ती बदलने की जरुरत नहीं, बस अपने सोच की दिशा बदलनी है दुनिया फिर सुनहरी लगने लगेगी । धन्यवाद !!!

बाणभट्ट की आत्मकथा : एक पुस्तक समीक्षा

श्री शिवानंद मिश्र
पुस्तकालयाध्यक्ष
केन्द्रीय विद्यालय, इफको–गांधीधाम

जलौघमग्ना सचराचरा धरा विषाणकोट्याऽखिलविश्वमूर्तिना ।
समुद्धृता येन वराहरुपिणा स मे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु ।।

1. पुस्तक–परिचय

वांग्मय सूचना :
शीर्षक : बाणभट्ट की आत्मकथा
लेखक : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
संस्करण : बारहवाँ संस्करण, पहली आवृति
कुछ उच्छवास : कथामुख + 20 उच्छवास + उपसंहार
प्रकाशन विवरण : नई दिल्ली : राजकमल पेपरबैक्स, 2011
पृष्ठ संख्या : 292 पृष्ठ आकार : 22 सेमी x 14 सेमी

मूल्य : 175/-
अधिग्रहण संख्या : 6231

जिल्द : पत्रावरणबद्ध

2. लेखक परिचय

जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता, दशास्यचूड़ामणिचक्रचुम्बिनः ।
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो, भवच्छिदस्त्रयम्बकपादपांसव ।।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी

बचपन का नाम : बैजनाथ द्विवेदी
जन्म : श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 (1907 ई.)
जन्मस्थान : आरत दुबे का छपरा, ओझवलिया, बलिया (उत्तरप्रदेश) ।
शिक्षा : संस्कृत महाविद्यालय, काशी में
1929 ई में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि ।
8 नवंबर 1930 को हिन्दी शिक्षक के रुप में शांतिनिकेतन में कार्यारम्भ ;
वही 1930 से 1950 तक अध्यापन,
सन 1950 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक और हिन्दी विभागाध्यक्ष ;
सन 1960-67 में पंजाब विश्व विद्यालय, चंडीगढ़ में हिन्दी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष ;
1967 के बाद पुनः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में, कुछ दिनो तक रैक्टर पद पर भी ।

हिन्दी भवन, विश्वभारती के संचालक 1945-50 ;
विश्वभारती विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्य 1950-53 ;
काशीनागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष 1952-53 ;
राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 1955 ई ;
जीवन के अंतिम दिनो में उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे ।

सम्मान : लखनऊ विश्व विद्यालय से सम्मानार्थ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि (1949),
पद्मभूषण (1957), पश्चिम बंग साहित्य अकादमी का टैगोर पुरस्कार तथा केन्द्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार (1973) ।

देहावसान : 19 मई 1979

प्रमुख पात्र :
मिस कैथराइन, बाणभट्ट/दक्ष भट्ट, निपुणिका/निउनिया, भट्टनी/देवपुत्र नंदिनी/चंद्रदीधिति, देवपुत्र तुवरमिलिंद, महाराजाधिराज हर्षवर्धन, महारानी राज्यश्री, आचार्य सुगतभद्र, आचार्य शीलभद्र, जयंत भट्ट, सौगत तार्किक वसुभूति, कुमार कृष्ण वर्द्धन, वाभ्रव्य, आचार्य भर्वुपाद, लोरिकदेव, अवधूत अघोर भैरव, महामाया, सुचरिता, विरतिवज्र, धावक, चंडी मंदिर का पुजारी, आदि ।

प्रमुख स्थान :
आस्ट्रिया : स्थाणवीश्वर; नालंदा; चरणाद्रि दुर्ग; भद्रेश्वर दुर्ग ; पुरुषपुर आदि ।

भाषा शिल्प :
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता उनका संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन, विशद शास्त्रीय ज्ञान, उनका तत्सम शब्दों का विपुल शब्द भंडार और उनकी ऐतिहासिक तथ्यों के लिए शोध वृत्ति है । इस उपन्यास में भी तत्सम शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है । यथा विकच पुण्डरीक, स्मयमान, ईषदवक्र, पुष्प-स्तवक, रंकुमृग, रोमराजि, प्रच्छद-पट्ट, सिक्थ करंडक, पुटिका, पतदग्रह, नगदंत, महासान्धिविग्रहिक दीर्घिका अंशुकान्त जैसे हजारों शब्द ।

शब्दों के अलावा द्विवेदी जी का प्रकृतिवर्णन, विशेषणों का अद्‌भुत प्रयोग, ऐतिहासिक ज्ञान, प्रवाहमान भाषा, तंत्रविद्या से परिचय, श्लोकों का यत्र तत्र उल्लेख हिन्दी साहित्य में इस उपन्यास को विशिष्ट बनाता है । उनके विशेषणों के प्रयोग का एक उदाहरण देखिये – तत्र भवान विषम समर-विजयी, वाहलीक-विमर्दन, प्रत्यन्त-वाड़व देवपुत्र तुवरमिलिंद ।

कथा शिल्प :
बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथा कृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है । इसमें द्विवेदीजी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन-सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूँथ कर एक ऐसी कथा भूमिनिर्मित की है जो जीवन-सत्यों सेरसमय साक्षात्कार कराती है । इस में वह वाणी मुखरित है जो सामगान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है ''सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नही, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं ।''

बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं वरन कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है । उनके लिए 'शरीर केवल भार नही', बल्कि 'उससे बड़ा' है और उसके मन में आर्या वर्त के उद्धार का निमित बनने की तीव्र

बेचैनी है । 'अपने को नि:शेष भाव से दे देने' में जीवन की सार्थकता देखने वाली निउनिया और 'सब कुछ भूल जाने की साधना' में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वरण कर लेता है तो यही गूँज अंत में रह जाती है, 'वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे ?'

कुछ मर्म स्पर्शी वाक्य (इसी उपन्यास से)

1. भाग्य को कौन बदल सकता है ? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया, उसे कौन मिटा सकता है ? अद्रष्ट के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है ? (पृष्ठ संख्या 18)

2. सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नही, मंत्र से भी नही, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं । (पृष्ठ संख्या 82.83)

3. समुद्र से ही कौस्तुभ–मणि का पादुर्भाव हो सकता है, पृथ्वी से ही जानकी का जन्म संभव है, हिमालय से ही पार्वती की उत्पत्ति हो सकती है विष्णुचरण से ही गंगा प्रवाहित हो सकती है, ब्रह्मा से ही त्रयी विद्याप्रादुर्भूत हो सकती है । (पृष्ठ संख्या 154)

4. वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे ? (पृष्ठ संख्या 204)

5. दुनिया केवल प्रस्तर–प्रतिमाओं पर जान देती है । (पृष्ठ संख्या 283)

6. जीवन की एक भूल–एक प्रमाद–एक असमंजस न जाने कब तक दग्ध करता रहता है । (पृष्ठ संख्या 291)

उपसंहार :

बाणभट्ट की आत्मकथा एक दुखांत उपन्यास है । बाण भट्ट की अनन्य सहचरी निपुणिका रत्नावली नाटिका के मंचन के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाती है । भट्टिनी सत्य ही चित्कार के साथ चिल्ला उठती है ''हाय, भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया । उसने प्रेम की दो दिशाओं को एक सूत्र कर दिया ।'' और अंत मे यह उपन्यास अधूरा ही रह जाता है जब आचार्य भर्वु पाद की आज्ञानुसार बाणभट्ट को भट्टिनी को स्थाण्वीश्वर में ही छोड़कर पुरुषपुर जाना पड़ता है । बाण भट्ट की अंतरात्मा चिल्ला उठी ''फिर क्या मिलना होगा''।

प्रस्तुति : श्री अर्पित बिजोले
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
कंडला टर्मिनल
(मूल लेखक : श्री संदीप कुमरावत से साभार)

अधूरे जवाब

भाग-1

शाम हो चली थी । अपनी सारी तेजोमयी आभा को छोड़ सौम्यता की नारंगी चादर ओढ़े सूरज दूर क्षितिज में उतरने लगा था । शाम को खूबसूरत बनाने के लिए शहर कैफे और रेस्टोरैंट्स अपनी सारी लाइट्स और सजावट समेटकर चाँद से होड़ करने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे । और यहाँ जमा होने लगी थी भीड़ । भीड़ उन लोगों की जो लगातार बिना थमे दौड़ते रहने वाले इस शहर के पेचीदा ढांचे का हिस्सा है और यहाँ बमुश्किल चंद लम्हे चुराकर सुस्ताने आये हैं । भीड़ उन लोगों की जो किसी खास मौके का जश्न मनाने आये है । भीड़ उन दोस्तों की जो कई सालों बाद दोबारा मिल रहे हैं । भीड़ उन दोस्तों की भी जो अपनी नई-नई दोस्ती में मिठास बढ़ाने आये हैं । कुछ युगल भी हैं । हर उम्र के ।

कैफ़े परिवार का ऐसा ही एक सदस्य ''मून स्टोन कैफ़े''

पूरी तल्लीनता से खुशियों के खोजी लोगों की सेवा में जुटा था । सुंदर सुंदर कपड़ों में सजे सब लोग बहुत सुंदर लग रह थे । सब अपने अपनों के साथ बैठे हर पल को भरपूर जी लेने को बेताब थे । किसी टेबल से यादों का धुआं उठ रहा था, कहीं से सूकून का, कहीं से आनंद का तो कही से संतुष्टि का । कुछ कानों में मोहब्बत पक रही थी पर यहाँ से कोई धुँआ नहीं उठ रहा था । खूबसूरत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा 'मून स्टोन', करीने से सजी किताबें, दीवारों पर इंग्लिश में लिखें कोट्स, रंगीन झालरदार सजावट, सब, सारी थीम बहुत सुंदर थी। तस्वीर खिंचवाने के लिहाज से इससे बेहतर जगह दूसरी नहीं हो सकती थी । ऊपर गैलरी में भी आरामदायक बैठक का भरपूर इंतज़ाम था । यहाँ एक तरफ रैलिंग पर रंगीन कागज़ की पट्टियां सजी थीं तो दूसरी और दीवार पर काँच की बरनियों में लाल रंग की रोंशनी फैलाते बल्ब लगाकर, जिन्हें लालटेन की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, कतारबद्ध लगाया गया था । और ऊपर छत से लटक रहे थे कागज़ से बने गुब्बारेदार रंगीन गोले, जिन की पूँछ हवा में लहरा रही थी । सारी सजावट खूबसूरत और मोहक थी ।

यहाँ गैलरी में एक कोने में बैठा अभय किसी का इंतज़ार कर रहा था । वेटर को यही बताकर उसने बिना आर्डर दिए वापिस भेज दिया था । उसका मन उदास था । ये सारा सुंदर परिदृश्य अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसके मन की उदासी ढक पाने में नाकाम था । मन में कहीं विचारों का भयानक चक्रवात उठ रहा था । सहनशक्ति की सारी दीवारें इस चक्रवात में ढह गई थीं । अब वह अभिव्यक्त होना चाहता था । खुद की बनाई कैद से आज़ाद होना चाहता था । कई सारे सवाल थे जो वह पूछना चाहता था । जवाब उसके मुताबिक मिले या न मिले, या भले जवाब ही ना मिले, इसकी उसे परवाह नहीं थी । वो बस सवाल पूछना चाहता था ।

मगर क्या हो यदि जिसका अभय इंतज़ार कर रहा था वह आये ही ना !! तब क्या ये लालटेनें, ये रंगीन गोले, ये सारी सजावट अपनी खूबसूरती पर इतरा पाएंगी ? या वो सारा इल्ज़ाम अपने पर न लेकर अभय के सवालों पर डाल देगीं... नहीं, उसने वादा किया था वह आएगी । वह वादे तोड़ती नहीं है....

भाग-2

शाम, समय का हाथ रात के हाथों में थमाकर बहुत पहले ही जा चुकी थी । रात ने भी अंधेरे गलियारों से होते हुए आधा रास्ता तय कर लिया था । गर्मियों की ये रात अपने साथ जो ठंडक लायी थी, माहौल में बिखरने लगी थी । इंतज़ार के महासिंधु को यादों की कश्ती के सहारे पार करने की कोशिश कर रहा अभय इस उम्मीद में खुश था कि किनारा उसकी आरजुओं के मुताबिक होगा । अपने आप में खोया अभय इस बात पर गौर ही नहीं कर पाया, की आसपास ठहाकों या बातचीत का शोर अब कम हो गया था, कई लैंप बुझ चुके थे

गैलेरी में खड़े होकर बॉटल से पानी का अंतिम घूट पीते हुए उसने नीचे देखा । नीचे के फ्लोर पर उसके विपरीत कोने में एक युगल बैठा था । दोनो के चेहरे तो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे पर उनके शारीरिक हाव भाव से समझा जा सकता था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे । लड़की पीले रंग के लिबास में थी और लगातार बोले जा रही थी । अपनी बातों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हाथों के इशारे भरपूर इस्तेमाल किये जा रहे थे । हर थोड़ी देर में वह खिलखिलाकर हँस देती थी । उसे देखकर लग रहा था ईश्वर की बनाई यह धरती सचमुच जीने के लिए सबसे उत्तम स्थान है । दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे । इतने कि दोनों के बीच से सिर्फ हवा ही गुज़र सकती थी । लड़का बोल नहीं रहा था, वह सिर्फ लड़की को सुन रहा था । और उसकी हँसी में भरपूर साथ दे रहा था ।

इन दोनों को देखकर पता नहीं क्यों अभय को बड़ा अच्छा लग रहा था । अवचेतन में अनायास ही एक दृश्य उभरा जिसमें उसने खुद को उस लड़के की जगह बैठा देखा और आकांक्षा को उस लड़की की जगह । बिल्कुल इतने ही करीब । ये परिकल्पना आनंद की अतिशयोक्ति थी । हर्ष की चरम सीमा । खुशी की पराकाष्ठा । अभी यदि स्वयं इंद्र सहस्ताक्षर सम्पूर्ण स्वर्ग का राज अभय को सौंप देने का प्रस्ताव रखें तो भी अभय प्रस्ताव ठुकरा दे...।

कि अचानक अभय को होश आया । अपने विचारों पर गौर करने पर उसकी खुशी को शर्मिदगी में तब्दील होते देर न लगी । खुद को मन ही मन फटकार लगाते हुए उसने कहा, वो दोस्त है मेरी । सिर्फ दोस्त ।

अब उसे उन दोनों को देखना अच्छा नहीं लग रहा था । उसे लगा वह उन लोगों की प्राइवसी में दखलअंदाज़ी कर रहा है । और वैसे भी आकांक्षा तो इतना बोलती ही नही है । उसे इतना खुश भी उसने कभी नहीं देखा और जितना ये लड़की पिछले 5 मिनिट में हँसी है उतना तो वो अपने अब तक के पूरे जीवन में नहीं हँसी होगी । ये सारी कल्पना ही बेबुनियाद है । निरर्थक । वह वापिस अपनी जगह पर आकर बैठ गया ।

फिर सोचने लगा, ''पर आकांक्षा है बहुत अच्छी...''। मस्तिष्क में फिर आनंद प्रवाहित होने लगा । कि तभी वेटरने आकर इत्तिला दी, ''सर कुछ ही समय मे कैफे क्लोज हो जाएगा । आप कुछ आर्डर करना चाहेंगे ?...''

इस सवाल ने मानो बरसों से सोये अभय को अचानक वर्तमान की कठोर धरती पर ला पटका । उसने घबराकर कर घड़ी देखी । आसपास देखा । सचमुच बहुत रात हो गयी थी और सारे माहौल में थकान छाई हुई सी लग रही थी । आकांक्षा अब तक नहीं आयी । अभय को कुछ समझ नहीं आया । मस्तिष्क शिथिल हो गया । बिल्कुल विचार शून्य अभय बड़ी देर तक वेटर को ही एकटक घूरता रहा । वेटर कोई जवाब पाने की गुंजाइश न देख कर दोबारा लौट गया । साथ ही लौट गयी अभय की सारी खुशी । मन में आनंद का बड़ा बलिष्ठ पहाड़ एक दम से ढह गया ।

और मन दारुण दुख के मलबे से लबालब भर गया । कुछ देर पहले तक खूबसूरत लग रही ये लालटेनें अब उसका मखोल उड़ाती शैतान की आंखे लगने लगी । न उसे अब रोशनी के ये अच्छे लग रहे थे ना ये रंगीन पत्तियां । ये चमकीली सजावट अब से चिढ़ा रही थी । उस पर हँस रही थी, उसका परिहास कर रही थी । अभय मज़ाक बन कर रह गया ।

जब कुछ उम्मीद के मुताबिक घटित नहीं होता तो बैचेनी और दुख से लबरेज़ मन विचारों में ऐसी नकारात्मकता घोल देता है कि पूरी दुनिया ही दूषित लगने लगती है । कुछ भी नहीं भाता । अभय सोचने लगा, ''ये वेटर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा...। ये मुझे बेवकूफ समझ रहा होगा, मन ही मन हँस रहा होगा । कि मैं पागलों की तरह पिछले कई घंटो से यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ और... और वो मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता कि मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने आ सके...।''

मन से भरपूर भरी नकारात्मकता और कुछ बची कुची सकारात्मकता के बीच डंडडंड होने लगा...

सकारात्मकता : ''उसे ज़रुर कुछ ज़रुरी काम आ गया होगा, इसीलिए शायद आ नहीं पाई होगी...'' नकारात्मकता : ''फ़ोन लगा कर बता भी तो सकती थी...''

''काम में व्यस्त होगी, भूल गई होगी । क्या बड़ी बात है इसमें ?''

''अच्छा! कोई बड़ी बात नहीं! मैं मूर्खो की तरह यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ और उसे अपने काम से 2 मिनिट की भी फुर्सत नहीं कि एक फ़ोन कर सके । उसकी व्यस्तता, व्यस्तता और हम यूँ ही फुरसती...''

''इतना क्यों बुरा लग रहा है मुझे...''

पर अब नकारात्मकता हावी होने लगी थी । अभय अपमानित महसूस कर रहा था । जब आप आवश्यकता से अधिक किसी को

समय और महत्व देने लगते है तो आप अप्रत्यक्ष रुप से उसकी नज़र में खुद की इज़्ज़त गिरा रहे होते हैं । किसी के लिए हर समय मौजूद रहना आपके अस्तित्व की महत्ता को घटा देता है । आपको बहुत साधारण समझा जाने लगता है । इसीलिए व्यवहार में भी महत्वहीनता दिखने लगती है । आपकी किसी बात या इच्छा के कोई मायने नहीं रह जाते । आपकी इच्छा पूरी न करने का कोई अफसोस नहीं होता । आपका रूठना, आपकी नाराज़गी, उनके लिए चिंता का विषय नहीं होता । अति हर बात की बुरी होती है ।

अभय को किसी किताब में पढ़ी ये बाते याद हो आयीं । वह तड़प उठा । अपमान की क्रोधाग्नि अपनी प्रबलता के उच्च शिखर को छू बैठी । उसने प्रण किया कि आज के बाद वह कभी आकांक्षा से नहीं मिलेगा । उससे कभी बात नही करेगा । क्रोध के आवेश में वह निर्णय ले बैठा । बिना दूसरा पक्ष जाने परिस्थियां अपने मुताबिक गढ़ ली उसने ।

लगा कि उसकी आरजूओं के मुताबिक किनारा नहीं मिला उसे ।

वह उठा और तेज़ कदमों से सीढियां उतरने लगा । इस बात से अनभिज्ञ की नीचे एक महा विनाशकारी आपदा उसका इंतज़ार कर रही थी...

भाग–3

सीढ़ियां उतरकर अभय जैसे ही दरवाजे की ओर तेज़ कदमों से बढ़ने लगा, उसकी नज़र पास वाली टेबल पर पड़ी । जिस युगल को वह ऊपर से ठीकतरह पहचान नहीं पाया था, वे अब उसके बिल्कुल सामने थे । रोशनी बहुत धीमी भी । पीछे दीवार पर कांच की बरनी में लाल बल्ब जल रहा था और हल्की पीली रोशनी फैलाती मोमबत्ती की तरह दिखने वाली एक लाइट उनकी टेबल पर रखी थी । दोनो के बीच जो थोड़ी सी जगह थी वह भी अब नहीं रही । दोनो में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था । उनकी सांसे थम गई थी और धड़कने बढ़ गई थी । लड़की ने आँखे बंद कर ली मानो अपने मधुरस लिप्त होठों को लड़के के होठों की शुष्कता मिटा, वहाँ मधुस्रोत प्रतिष्ठित करने की स्वीकृति दे रही हों...।

कैसी माया है कि भाग्यहीन अभय ये दृश्य देखने के लिए वही मौजूद था । उसे काटो तो खून नहीं । बिल्कुल स्तब्ध रह गया । वह धीमी रोशनी में भी अपने मासूम हदय पर घाव बनते साफ देख सकता था । संसार का समस्त अंधकार इस समय अभय के अंत:करण में एकत्रित होकर निर्लज्ज भयावहता का परिदृश्य स्पष्ट कर भयंकर चीत्कार करने लगा । निर्मम दुनिया का नग्न सत्य उसके समक्ष तांडव कर रहा था । उसकी अंतरात्मा झटपटा उठी, वह रोना चाहता था, पर मौजूदा हालात की सुलगती तपिश ने सारे आँसू भाप कर दिए । दोस्ती की जिस आग में उसने आवश्यकता से अधिक ईंधन खर्च किया था, वही लपटें अब विकराल रूप धारण कर उसके विश्वास और आशा के घरोंदे जला रही थी । और प्रेम...प्रेम इस समय अभय को मुँह चिढ़ाता उन होठों के मध्य नृत्य कर रहा था । अभय असीम वेदना और दारूण दुख के अनंत निर्वात में समाता जा रहा था । उसे लगा जैसे काल चक्र थम गया हो और उसके मस्तिष्क ने शून्य ओढ़ लिया हो । चेतनता प्राणविहीन हो गयी । उसे ध्यान नहीं रहा कब वह पास वाली अलमारी से टकरा गया और उस पर करीने से सजे कुछ बेशकिमती कॉच के मर्तबान टूट कर बिखर गए ।

इस जोर की आवाज से युगल चौंक गया । आकांक्षा ने अभय को देखा तो अचानक सकते में आ गई । एक दम खड़ी हो गई । उसके आश्चर्य की सीमा न रही । अपनी ड्रेस की तरह पूरे पीली पड़ गई । उसका इस तरह चौंक जाना लाज़मी था । उसे अभय के यहाँ होने की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी । उसे समझ नहीं आया क्या करें ? सारी समझ इस बेवक्त की बारिश में मिट्टी की तरह बह गई । बहुत मुश्किलों से उसके मुँह से सिर्फ एक अधमरी सी हाय ही निकल पायी। अभय ने जवाब नहीं दिया । वह जवाब दे ही नहीं सका ।

माहौल की असहजता मिटाने के आशय से आकांक्षा ने उस लड़के से अभय का परिचय करवाने की कोशिश की । ''साहिल ये अभय है, मेरा College Friend और अभय ये साहिल है,...मेरा...Boy friend....उसने अंतिम शब्द इतनी धीमी आवाज में कहा कि स्वयं उसके कान अपनी श्रवण क्षमता पर शंका करने लगे ।''

अभय का मस्तिष्क जल रहा था । वे सारी यादें जो उसने आकांक्षा के साथ बितायें पलों से सजायी थी, उसके इन नीरस और बेमतलब के शब्दों से पिघल कर आंखों के किनारों से बहने लगी ।हताशा के सूखे पत्तों ने उसके शब्दों के बगीचे को पूरी तरह ढक लिया था । केवल कुछ निर्जीव शब्द ही बाहर आ सके ।

अभय : ''क्यों छिपाया, आकांक्षा ?''

आकांक्षा : ''मैं डर रही थी।'' आवाज कांप रही थी, जैसे बस वह रोने ही वाली हो।

अभय : ''मुझ पर विश्वास नहीं था।''

आकांक्षा : ''मुझ पर किये तुम्हारे विश्वास के टूटने से डर रही थी।''

अभय : ''बचा भी कहाँ पाई ?''

आकांक्षा : ''इन काँच के मर्तबानों की वजह से टूटेगा, ऐसा नहीं सोचा था।'' और आकांक्षा रोने लगी। वह सारा सच खुद बताना चाहती थी। सही समय के इंतजार के बीच उसकी बदकिस्मती इतनी बलवती हो उठी कि उसे यहाँ इस टूटने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कोई और दिन होता तो आकांक्षा की आंखों में आँसू देखकर अभय धरती आकाश एक कर देता। आकांक्षा की आँखों से बहते इन मोतियों की कीमत खुद को समाप्त कर अदा करने को भी उद्दत हो जाता किन्तु आज कहानी कुछ और थी।

अभय : '' 'की वजह से' नहीं, 'की तरह से'। मेरे अरमानों की ये किरचें तुम्हें हमेशा चुभेगी आकांक्षा।''उसने क्रोध भरी आंखे आकांक्षा से फेर ली और तेज़ीसे दरवाजे से बाहर निकल गया ।

आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया। उसने भौचक्के से बैठे साहिल को देखा। फिर दरवाजे से निकलते अभय को देखा। और अगले ही पल साहिल को "Excuse me' बोलने की भी ज़हमत उठाये बगैर दरवाजे की और दौड़ गयी। बाहर आकर अभय को आवाज़ लगाई। अभय न चाहकर भी पता नही क्यों रुक गया। आधी रात को शहर की सुनसान सड़क पर हो रहे इस तमाशे के साक्षी सितारे थे। अभय पीछे मुड़ा और आकांक्षा के बोलने से पहले उस पर बरस पड़ा, ''मैंने हर पल तुम्हारी खुशियाँ चाही आकांक्षा! दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि क्या करुँ कि तुम्हें हँसा सकूँ? तमाम कोशिशें की कि गंभीरता, कठोरता, ज़िद्दीपन को कम करके तुम्हारी ज़िन्दगी में थोड़ी शरारत भरी मासूमियत के लिए जगह बना सकूँ। तुम्हे मंझधार के थपेडों से बचाने के लिए मैं खुद तुम्हारें लिए किनारा चाहता था। मगर मैं हार गया। तकलीफ तो इस बात की है कि जब तुम्हें किनारा मिल गया तो मुझे बताना भी जरुरी नहीं समझा तुमने!! क्यों आकांक्षा ? अरें! मैं भी तो यही चाहता था।

जैसे ताली के लिए सिर्फ एक हाथ पर्याप्त नहीं होता उसी तरह रिश्ते को जीवित रखने के लिए सिर्फ एक ओर से कोशिशें पर्याप्त नहीं होती। मैं अब थक चुका हूँ आकांक्षा तुम मुझसे झूठ बोलती हो, बातें छिपाती हो। तुम्हे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। लगता है मेरे साथ खेल करती हो। मेरे सिवा बाकी सारी दुनिया के साथ हँसती, खिलखिलाती हो, खूब बातें करती हो। और आज तो हद कर दी। मेरे बुलाने पर आई ही नहीं। आती भी कैसे, तुम्हे अपना किनार जो मिल गया। अब कहाँ रही मेरी ज़रुरत। जरुरत नहीं तो इज़्जत भी नहीं।'' अफसोस, कटाक्ष, क्रोध, सब भाव एक ही बार में प्रवाहित होते चले गए। अभय की भीगी आँखे अब लाल हो गयी थी।

आकांक्षा के आँसू थम नहीं रहे थे। ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम उसकी आत्मा पर चोट कर रहे थे। पर वह यह भी जानती थी अभय को गलतफहमी होना जायज़ है। इसी गलतफहमी की ज़मीन पर इल्ज़ामात के ये खरपतवार उपजे हैं। वरना अभय कभी उससे इस तरह बातें नही करता। इसके लिए वह खुद ज़िम्मेदार है। आकांक्षा अपराधी भाव से कहने लगी'' मैं तुम्हे सब बताने वाली थी। तुम्हें ढेर सारा thank you कहना चाहती थी। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हुई। तुम मुझे कितने अज़ीज़ हो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और मेरे जीवन में तुम्हारी अहमियत साहिल से कहीं ज़्यादा है। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, बस जताती नहीं। तुम जानते हो, मैं ऐसी ही हूँ। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, बस कुछ दिनों के लिए सच छिपाया। मैं तुम्हे कल मिलकर सब बताने वाली थी। साहिल का मेरी ज़िंदगी में आना उतना ही आकस्मिक था जितना आज तुम्हारा यहाँ होना। हम यहाँ कल मिलने वाले थे। पर बदकिस्मती से गलतफहमियों का दलदल हमें आज ही निगलना चाहता था।''

अभय चौंक गया। उसने तुरंत अपने फ़ोन पर मैसेज चेक किया। अरे हाँ! उसकी और आकांक्षा की मुलाकात तो कल निश्चित हुई थी। वह एक दिन पहले ही यहाँ आ पहुँचा था। उसे शर्मिदगी महसूस होने लगी। अब उसे स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा किस लिए है ? आकांक्षा ने उसकी तरह गलती नहीं की इसलिए या वह किसी और के साथ थी इसलिए। अभय का मन सच जानता था पर स्वीकारना नहीं चाहता था।

आकांक्षा का बोलना जारी था, ''तुमने कहा, मैं दूसरों के साथ हँसती, खिलखिलाती हूँ। खूब बातें करती हूँ। मतलब छुपकर मेरी जासूसी बड़ी देर से चल रही है। हाँ, बदलाव हुआ है। दरअसल कई बदलाव हुए हैं। अब मैं पहले की तरह खडूस नहीं रही। जिंदगी के हर पल को मुस्कुराकर जीना सीख लिया है मैं ने। thanks to you. और तुम भी ये महसूस करोगे। अगर मूड ठीक हो गया तो।''

यह कहकर वह मुस्कुराने लगी ।

अभय बिल्कुल शांत खड़ा था । कुछ नहीं बोला ।

आकांक्षा बहुत जल्द ही गंभीर हो गयी । कहने लगी, ''तुम्हें तो खुश होना चाहिए । तुम मेरे नीरस जीवन में प्यार की मिठास घोलना चाहते थे तो अपनी ही इच्छा पूरी होने पर इतने परेशान क्यों हो गए ? मुझे साहिल के साथ देखकर इतना असहज क्यों हो गए ? मेरे खिलाफ खुद ही बेवजह की बेतुकी बातें बना ली और मुझसे झगड़ने लगे हो । कहीं...'' आकांक्षा चुप हो गयी ।

अभय आकांक्षा का इशारा समझ पा रहा था । अपनी समझ के मुताबिक आकांक्षा की अधूरी बात का विश्लेषण कर इस नतीजे पर पहुँचा कि आकांक्षा को लगता है कि उसके मन से दोस्ती का भाव पक कर प्रेम की मिठास पाने लगा है ।

अभय आकांक्षा के इस अनुमान के विरोध में अपनी सफ़ाई पेश कर खुद को मासूम साबित कर सकता था । पर उसने ऐसा नही किया । उसका मौन कहीं न कहीं आकांक्षा की संभावनाओं की पुष्टि कर रहा था ।

आकांक्षा ने अभय को चुप देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ''तुमने बहुत देर कर दी अभय!!...''

यह सुनकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गयी । हदय एक अजीब किन्तु परिपूर्ण आनंद से भर गया । उसका मस्तिष्क सारे विपरीत खयालों की सफाई कर बिल्कुल हल्का हो गया । ''तुमने बहुत देर कर दी अभय...'' वह उम्मीद जो अब बाकी नहीं रह गई, अभय उस उम्मीद के किसी समय में रहे अस्तित्व की कल्पना करके ही बहुत खुश हो गया । गर्व का भाव हदय को आंदोलित करने लगा ।

रात अपने यौवन के उन्मान का कुछ हिस्सा अभय को भेंट करने को बड़ी उत्सुक मालूम होती थी । आसमान के सितारें अपनी टिमटिमाती चमक से अभय के आनंद को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे । ठंडी हवा बड़ी बेपरवाह से दोनो के बाल सहला रही थी । वातावरण सरम्य और मनोहर हो गया था, बिल्कुल अभय की मन:स्थिति की तरह । अभय का मन अब शांत था । अब वह बिल्कुल तटस्थ होकर आकांक्षा के बारे में सोच सकता था । जो वह चाहता था वही तो हुआ । उसके सवालों के अधूरे जवाब पूरे हो गए थे । उसे अब आकांक्षा को करीब से समझने की भी ज़रुरत नहीं महसूस हो रही थी । दोस्ती और प्यार के बीच की महीन धारा अब स्पष्ट रुप से हट गई थी । प्यार की सारी कटीली झाड़ियाँ जो अनचाहे, अनजाने में उग गई थी, एक झटके में साफ हो गई । और रह गया दोस्ती का विस्तृत खूबसूरत मैदान । आकांक्षा को वह जितना समझता है, वह उतनी ही सम्पूर्ण और सुंदर है उसके लिए । उसे अब आज शाम से लेकर अब तक के सारे नादानियों और बेवकूफी भरे विचारों पर हँसी आने लगी । उतावलापन देखिए, एक दिन पहले ही पहुँच गया ।

अभय ने आकांक्षा की आँखों में बड़ी दृढ़ता से देखा । मानो उन खूबसूरत आँखों से आगामी जीवन के लिए सहारा उधार ले रहा हो ।

उसने मुस्कुराकर कहा, ''जानबूझकर देर की आकांक्षा, मैं जानता था, you deserve beter....." समाप्त

फसाना

जिंदजी के फसाने से न निकल सके हम,
आशा थी तृप्ति की पर अतृप्त रहे हम ।

बैठे थे राह में बसंती हरियाली की,
पर संजोग के पतझड़ से न निकल सके हम ।

उड़ना था अंबर में, बनके पंछी हमें,
पर बंधनो के लगाव से, न उड़ सके हम ।

अब भी आशा है की बनूँगा प्रसिद्ध मैं,
देखते हैं 'हित', समय को क्या बादल सकेंगे हम ?

श्री हितेश एच. बालिया ('हित')
समुद्री वाणिज्य विभाग
कंडला

श्री नितिन देव जोशी
आयकर कार्यालय, गांधीधाम

माउंट आबू – एक यात्रा वृत्तांत

नमस्कार दोस्तों,

वैसे तो मैंने कभी कोई यात्रा वृतांत नहीं लिखा, परन्तु पिछले वर्ष मुझे राजस्थान में स्थित माउंट आबू जो कि एक हिल स्टेशन, पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मनोरम यात्रा के दौरान मेरा जो अनुभव रहा उसे अपने स्मृति-पटल में संजोये हुए खास पलों को कागज पर उतारने का प्रयास किया है।

यात्रा का विचार तब आया जब मेरी कर्मस्थली गांधीधाम से कुछ मित्र राजस्थान स्थित माउंट आबू गये हुए थे, चूंकि किसी कारणवश मैं उनके साथ ना जा सका। बाद मैं उन सहकर्मी मित्रों ने बातें वहां की बताई तब से ही मन में कौतूहल था कि एक बार तो इस जगह पर जाना चाहिए। इसके बाद मैंने माउंट आबू क विषय में इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी जानकारी ली।

बात वर्ष 2019 के अगस्त महीने की है। बरसात के दिन थे, चारों ओर हरियाली छायी हुई थी। मुझे यह अवसर तब प्राप्त हुआ जब मुझे अचानक एक दिन मेरे मित्र हिमांशू का फोन आया जो कि अहमदाबाद में कार्यरत है, उसने बताया कि वो और उसके मित्र माउंट आबू जा रहे हैं। इसे संयोग ही कहियेगा भला जो इच्छा मन में थी वह पूरी होने जा रही हो। मैं बिना देर किये उसके साथ चलने को तैयार हो गया। यात्रा आरंभ करने का दिन अगस्त माह के अंतिम सप्ताह के शनिवार का तय किया गया , चूंकि शनिवार एवं रविवार दो दिन का कार्यालयीन अवकाश होने के कारण कार्यालय से किसी भी प्रकार की अवकाश प्राप्ति में समस्या ना हो। मेरे मित्र ने रेल यात्रा की टिकट अहमदाबाद से आबूरोड, जो कि माउंट आबू से सबसे नजदीक का स्टेशन है तक की आरक्षित कर ली थी।

मैं यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था शुक्रवार को मैंने अपने कार्यालय का कार्य समय पर कर थोड़ा समय से जल्दी अपने घर के लिए मुख्यालय छोडने की अनुमति लेकर निकल गया। चूंकि अहमदाबाद से ट्रेन शनिवार सुबह की थी इसलिए गांधीधाम से अहमदाबाद जो कि लगभग 300 किमी है तक का रेल टिकट मैंने भुज से दादर जाने वाली ट्रेन में पहले ही अपने फोन के माध्यम से आरक्षित कर लिया था। ट्रेन का समय रात्रि 11:45 का था इसलिए मैंने अपना बैग में यात्रा के दौरान जो जरूरी सामान था सब रख लिया था साथ ही रात्रि का भोजन भी घर पर कर लिया। तय समय पर मैं गांधीधाम जंक्शन पर पहुंच गया तभी तेज सीटी की आवाज सुनाई दी देखा तो स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। मैं अपनी तय सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन ने फिर एक लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुई। चूंकि रात का समय बहुत हो चुका था इसलिए ज्यादातर यात्री सोने की तैयारी में थे।

अब मुझे सुबह 5 बजे अहमदाबाद उतरना था इसलिए मैंने अपने पडोसी यात्री को बता दिया कि अगर मैं न उठ सकूं तो वो उठा दें। वैसे आज के समय में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग बहुत कम होते है। वैसे मुझे भी इतनी गहरी नींद नहीं आई थी । ट्रेन तय समय से अहमदाबाद पहुंच गई थी। मैं स्टेशन पर उतरकर वहां आटोरिक्शा लेके हिमाशूं के घर पहुंचा। वहां पर थोड़ी देर आराम करने के बाद में हम लोग आबूरोड के लिए स्टेशन पहुंच गये। आबूरोड वहां से लगभग 200 किमी है। चूंकि ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन से ही चलना आरंभ करती है इसलिए वह तय समय सुबह 9 बजे से चलना आरंभ हुइ। और हम लोग दोपहर लगभग 2 बजे आबूरोड पहुंच गये। आबूरोड राजस्थान के सीकर जिले के

अंतर्गत आता है जो कि माउंटआबू जाने का एक पडाव स्थल है यहां माउंट आबू की दूरी लगभग 30 किमी है वहां पर जाने के लिए सरकारी बसें, जीप आदि हैं इसके अलावा अपने निजी वाहन से भी वहां पहुंचा जा सकता है। हम लोग बस में सवार हुए लगभग 2 घंटे का सफर तय कर माउंट आबू पहुंचना था चूंकि दूरी ज्यादा नहीं थी परंतु अरावली पर्वत की चढाई अधिक होने के कारण वहां तक वाहन ज्यादा गति से नहीं जा सकते है। वहां जाने के लिए मार्ग भी अच्छा था यह सफर भी अपने आप में बहुत रोमांचक था रास्ते से ही हमें माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरूशिखर के भी दर्शन हो रहे थे मानो हम उसके बहुत करीब हो कभी वह चोटी पास दिखाई देती तो कभी अदृश्य हो जाती यह आंखमिचोली का खेल पूरे रास्तेभर चलता रहा। धीरे धीरे हमारी बस आगे बढती हुइ बादलों की उंचाई तक पहुंच गई बादल हमसे नीचे दिखाई देने लगे मानो हम बादलों के ऊपर सवार होकर आसमान की यात्रा कर रहे हों। पीछे जो गांव था वहां के खेत धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे जो कि एक स्वपन सा लगता है। रास्ते में एक तरफ बहुत ऊंचे पहाड थे तो वहीं दूसरी ओर बहुत गहरी खाई। कभी तो मन में बहुत भयानाक खयाल आते किसी अप्रिय घटना का डर बना रहता। धीरे धीरे हमारी बस माउंट आबू पर्वत पर प्रवेश कर चुकी थी। चूंकि हमारे पास समय कम था इसलिए हमने कुछ जगहों पर जाना आज ही उचित समझा। हम लोग वहां से एक जीप में सवार होकर अन्य स्थानों पर घूमने के लिए निकल पड़े। वहां का मौसम बहुत सुहावना था अन्य स्थानों की अपेक्षा वहां ठण्डक अधिक थी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। सबसे पहले हम आबू पर्वत पर स्थित देलवाडा के जैन मंदिर गये जिसका जैन धर्म के लोगों में बड़ा महत्व है। एक तरफ जहां जैन धर्म अपनी सादगी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है वहीं दूसरी ओर इस धर्म के तीर्थ स्थल अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। दिलवाडा का जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाडा मंदिर पांच मंदिरों का समूह है। हम अपनी गाडी सडक के किनारे खडी करके पैदल ही मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर चल दिये। मार्ग के दोनों ओर कई दुकानें हैं जहां घर की सजावट और बच्चों के खेलकूद के अलावा कुछ अन्य वस्तुऐं भी मिल रहीं थीं। मंदिर परिसर में प्रसाद चढाने की अनुमति नहीं है इसलिए प्रसाद किसी भी दुकान पर नहीं था। इतने सुंदर दर्शनीय स्थल की यादें अपने कैमरे में भला कौन कैद नहीं करना चाहेगा इसलिए मंदिर के बाहर की तस्वीर हमने लेली परंतु मंदिर के प्रवेश द्वार पर पता चला कि अंदर फोटोग्राफी वर्जित है औन अपने साथ फोन लेकर जाने की भी अनुमति नहीं है। फिर हम अपने अपने फोन एक स्थान पर जमा कराके अंदर गये। इस मंदिर की खूबसूरती इसकी असाधारण वास्तुकला एवं सफेद संगमरमर पर की गई नक्काशी में है। इस मंदिर से बाहर आने का मानो मन ही नहीं करता। परंतु हमें बिना देर किये अन्य स्थानों पर जाना था इसलिए हम वहां से बाहर आकर आगे की ओर चल दिए।

चूंकि हमें भूख भी बहुत लगी थी इसलिए हमने वहीं पर स्थित होटल पर भोजन किया। हमारा अगला पडाव था अर्बुदा देवी का मंदिर जोकि वहां कि कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान 51 शक्तिपीठ में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहां माता पार्वती के अधर(होंठ) गिरे थे। यह मंदिर लगभग साढे पांच हजार वर्ष पुराना है। यहां रोड से पैदल चलकर लगभग 350 सीढियां चढकर गुफा तक पहुंचा जा सकता है। हम लोगों को यहीं पर शाम हो चुकी थी वापस आते

समय जीप वाले ड्राइवर ने बताया कि अभी शाम के समय नक्की झील पर जाने का समय अच्छा है। हम लोग बिना देर किए नक्की झील की तरफ चल दिये। नक्की झील माउंटआबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मीठे पानी की यह झील जो राजस्थान की सबसे ऊँची झील हैं सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कहा जाता है कि एक हिन्दू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर यह झील बनाई थी। इसीलिए इसे नक्की (नख या नाखून) नाम से जाना जाता है। इस झील में नौकायन का भी आनंद लिया जा सकता है। नक्की झील के दक्षिण-पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदू से डूबते हुए सूर्य के सौंदर्य को देखा जा सकता है। झील में नौका विहार की भी व्यवस्था है। झील के किनारे एक सुंदर बगीचा है, जहाँ शाम के समय घूमने और नौकायन के लिए पर्यटको का हुजूम उमड़ पड़ता है। पास ही में बनी दुकानों से राजस्थानी शिल्प का सामान खरीदा जा सकता है।

धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था अब हमें तलाश थी ठहरने के स्थान की जहां आराम से रात्रिविश्राम हो। हमने एक होटल में कमरे किराये पर लिए वहां रात्रि में अत्यधिक सर्दी थी। रात्रि का भोजन हमने होटल से बाहर किया और फिर वापस होटल पर पहुंचकर सारे दिन की चर्चायें होने लगीं साथ ही सुबह चलने के विषय में भी चर्चा हुई । हम लोग काफी थक चुके थे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा काफी समय हो चुका था लेकिन मौसम ठण्डा होने के कारण सूर्योदय दिखाई ही नहीं दे रहा था मानो बादलों ने सूर्य को अपने आगोश में ले लिया हो। हम लोग आज की यात्रा के लिए जल्दी तैयार हुए थोडा नाश्ता करके आगे चल दिये ।

आज हमें आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरूशिखर पर जाना था जो कि लगभग 1722 मीटर ऊंची है। वहां जाने के लिए हमने दो दुपहिया वाहन किराये पर लिए और चारों मित्र चल दिए। यह चोटी माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। रास्ता घने जंगल से गुजरता है और अधिकतर मार्ग चढाई भरा है। हम लोग रास्ते में आने वाले कई सेल्फी पोइंट पर रुके और उन खास नजारों को अपने कैमरे में कैद करते गये। गुरू शिखर की चोटी पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। हमने मंदिर के सामने अपने वाहन खडे कर दिये। यहां से आगे मंदिर तक जाने के लिए पैदल मार्ग से जाना होता है। हम धीरे धीरे लाइन में लगकर मुख्य मंदिर तक पहुंच गये। चूंकि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वर्जित है इसलिए हमने अपने फोन बंद कर दिए। यहां दर्शन करने के बाद हम एक और मार्ग से होते हुए मंदिर की चोटी पर बने मंदिर की ओर गये।

रास्ता चढाई वाला है लेकिन सीमेंट का पक्का मार्ग बना है इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहां दर्शन करने के बाद बाहर का नजारा अदभुत था मानो हम स्वर्ग में हो। जहां चारों तरफ बादलों का धुंआ नजर आ रहा था वहां से जमीन तो जैसे दिखाई ही न देती हो ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखा हो। यहां खडे होकर आसपास के नजारों का आनंद लिया। यहां से देखने पर दूर तक दिखाई देती अरावली पर्वतमाला का शानदार दृश्य दिखाई देता है। कुछ समय यहां बिताने के बाद हमने वापसी की राह पकडी, नीचे आते हुए हम रास्ते में खाते-पीते आये। इसके पश्चात हम माउंट आबू पर वापस आ गये । और हमने वहां पर किराये पर लिये हुए दुपहिया वाहन को जमा कराया। एवं होटल में जाकर अपने सामान को लेकर वापसी के लिए चल दिये। इसके अलावा यहां और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। चूंकि समय का अभाव था इसलिए वहां से आबूरोड आकर वापसी की ट्रेन से घर वापस आ गये।

आशा करता हूं कि यह यात्रा वृतांत आपको पसंद आया होगा साथ ही जब भी आपको अवसर मिले एक बार अवश्य जाइयेगा।

नराकास, कंडला/गांधीधाम की छमाही समीक्षा बैठक
(दि. 23-08-2019)

नराकास की छमाही समीक्षा बैठक दौरान नराकास की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "कंडला नराकास संवाहिका" के प्रवेशांक का विमोचन

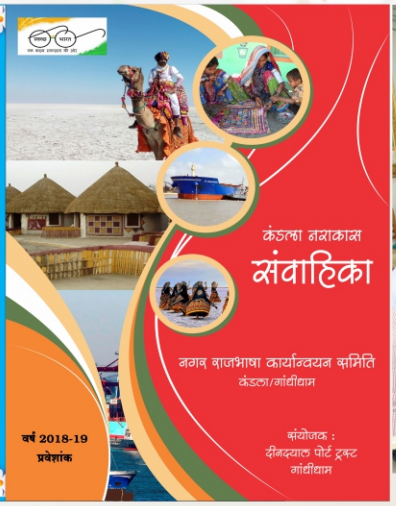

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कंडला/गांधीधाम के विद्यमान सदस्य

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय	वीटीएस निदेशालय दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय	नमक अधीक्षक का कार्यालय	पोतपत्तन स्वास्थ्य संगठन
विकास आयुक्त का कार्यालय	संयुक्त आयकर आयुक्त का कार्यालय	सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय	मुख्य डाकघर गांधीधाम	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागर विमानक्षेत्र कंडला	क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पश्चिम रेलवे
केन्द्रीय विद्यालय, इफ्को - रेलवे	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	समुद्री वाणिज्य विभाग, पोत परिवहन मंत्रालय,	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
भारत संचार निगम लिमिटेड	केंद्रीय भंडारण निगम	गेल (इंडिया) लिमिटेड	भारतीय खाद्य निगम	पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारतीय जीवन बीमा निगम
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ़ इंडिया	यूको बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पंजाब नेशनल बैंक	कॉरपोरेशन बैंक	ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	पंजाब एंड सिंध बैंक